मुकदमों का विवरण

हरेंद्र राय बनाम.

बिहार और ओआरएस का राज्य। (2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726) 18 अगस्त, 2023 *

[संजय किशन कौल**,** अभय एस**.** ओका और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे:एक दोहरे हत्या के मामले में, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी नं।1-उत्तरदाता नं।2 उसने अपने अपराध का जवाब दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनमें से दो की मृत्यु हो गई थी और निचली अदालत ने आरोपी-प्रतिवादी एन. ओ. एस. को बरी कर दिया था। सभी आरोपों में से 2 से 8, जिन्हें उच्च न्यायालय ने आपराधिक संशोधन में स्वीकार किया था, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे थे:

(i) क्या सर्वोच्च न्यायालय, दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील में, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (मृतक में से एक की माँ, सी. डब्ल्यू. 1 के अपहरण के अनुसरण में, अपना बयान दर्ज करने की तारीख से दस दिन पहले) में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले पर विचार कर सकता है, जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का हिस्सा नहीं था (हालांकि यह निचली अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा था) और निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर भरोसा नहीं किया गया था, एक सार्वजनिक दस्तावेज की प्रकृति में दोषारोपण करने वाले साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में और, यदि हां, तो किस हद तक।

((ii) क्या अभिलेख पर स्थापित अभियुक्त के पिछले या बाद के आचरण को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 को देखते हुए अभियुक्त के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है।

(iii) क्या एफ़. आई. आर. या बयान तहरीरीरी को अभियोजन पक्ष के विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो एफ़. आई. आर. या बयान तहरीरी को मृत्यु घोषणा के रूप में मानने के मुद्दे पर कानून की क्या स्थिति होगी।(iv) क्या सी. डब्ल्यू. 1 (एक बूढ़ी कमज़ोर, देहाती, अनपढ़ महिला और मृतक की माँ और घटना की प्रत्यक्षदर्शी) की गवाही, जो

* Ed.Note:[2023] 11 एस. सी. आर. 583 में रिपोर्ट किए गए बाद के फैसले को भी संदर्भित किया जा सकता है।

403

404

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उसकी जिरह के अंत में कहा गया कि "उसके बेटे (एक अन्य जीवित बेटे) ने उसे अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था", ऐसे आरोपी के खिलाफ एक विश्वसनीय सबूत के रूप में माना जा सकता है, विशेष रूप से मामले के चेकर और असामान्य इतिहास को देखते हुए।

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**धारा **56-**न्यायिक सूचना का सिद्धांत**-**आपराधिक मामलों में तथ्य की न्यायिक सूचना**-**मैक्सिम रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट

स्वीकार करें "।

आपराधिक न्याय का प्रशासन**-**आपराधिक मुकदमे में तीन मुख्य हितधारकों की विफलता**-**अभियुक्त का अवांछनीय पक्ष**-** अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए सामान्य से अलग रास्ता है।

आयोजित किया गया:न्यायिक सूचना का सिद्धांत, जैसा कि यू/एस द्वारा प्रदान किया गया है।56 साक्ष्य अधिनियम, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करके किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए लागू साक्ष्य के सामान्य नियमों का एक अपवाद है।दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, किसी भी तथ्य का न्यायिक नोटिस आम तौर पर कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम में आपराधिक मामलों में

नहीं लिया जाता है।वर्तमान मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में दिनांक आई. डी. 1 के निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा किए गए कुछ निष्कर्षों, टिप्पणियों और निर्णयों का वर्तमान मामले की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक पूरी तस्वीर देता है कि कैसे वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के संस्करण को न केवल पुलिस प्रशासन की सहायता से बल्कि लोक अभियोजक की सहायता से राजनीतिक अधिकार और बाहुबल का उपयोग करके ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा था और उच्च न्यायालय के निर्देशों और निरंतर निगरानी के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने भी खुद को न्यायिक अधिकारी के रूप में अनुचित तरीके से संचालित किया।13.03.2007 दिनांकित निर्णय, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, की अच्छी तरह से चर्चा की गई है और यह आधिकारिक सामग्री पर आधारित है और इसे ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत के अनुरूप पारित किया गया था।इसके अलावा, इसमें मामले के तथ्यों पर एक मशाल वाहक प्रभाव है।तदनुसार, खंड पीठ द्वारा प्राप्त निष्कर्षों, टिप्पणियों और निर्णयों के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया न्यायिक नोटिस और अभियुक्त के बाद के आचरण की सीमा तक अपने निर्णय दिनांक 1 में जारी किए गए निर्देश, लोक अभियोजक, पुलिस प्रशासन और अभियुक्त को अवांछनीय पक्ष देने के लिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की निंदनीय कार्यप्रणाली।[पारस 66,67 और 68] 405

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**एस**. 8-**अभियुक्त का बाद का आचरण**-**प्रतिकूल

अनुमान**-**मैक्सिम क्या कमोडम**,** सेंटीर डेबिट और अन्य जिम्मेदारियों को समझता है।**”:**

आयोजित किया गया:हाथ में मामले में, एक दोहरी हत्या का मामला, आरोपी-प्रतिवादी नं।2 केवल प्रासंगिक यू/एस नहीं था।8 साक्ष्य अधिनियम, लेकिन उसके अपराध के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रमुख परिस्थितियों में से एक है।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने खिलाफ साक्ष्य को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।दागी जाँच उत्तरदाता नं. की मनमानी को दर्शाती है।2, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, सत्तारूढ़ दल के वर्तमान सांसद होने के नाते।सवाल यह है कि आरोपी क्यों सहायक था, जबकि वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं था जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था। इसका स्पष्ट उत्तर यह होगा कि उसका दोषी मन परिणाम के बारे में भयभीत था।[पारस 70,72,73 और 114]

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**धारा **74-**बयान तहरीर/मृतक का लिखित बयान**-**साक्ष्य मूल्य:

आयोजित किया गया:एफ. आई. आर. एक सार्वजनिक दस्तावेज है।74 साक्ष्य अधिनियम। कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज केवल उसके प्रस्तुत किए जाने के तथ्य से सिद्ध नहीं होता है।साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में किसी भी दस्तावेज़ को प्रदर्शित करने के चरण में, दस्तावेज़ में जो कहा गया है उसकी सच्चाई पर विचार नहीं किया जाता है।इसे जिरह के बाद मुकदमे में अंतिम मूल्यांकन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, और दस्तावेज़ के अस्तित्व और सामग्री के बारे में गवाह की पूरी गवाही को मुकदमे के दौरान उभरने वाले विभिन्न अन्य कारकों के संयोजन में तौला जाता है।विचारण कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर साक्ष्य के एक टुकड़े को 'प्रदर्शन' के रूप में चिह्नित करना केवल विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की पहचान के उद्देश्य से और न्यायालय और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए है ताकि इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त की जा सके कि परीक्षण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है।वर्तमान मामले में, राज्य तंत्र की विफलता और पीड़ित पक्ष के दृष्टिकोण से एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में निचली अदालत की विफलता को देखते हुए, प्राथमिकी और बयान तहरीर को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित न करने का पहलू, औपचारिक गवाहों को पेश न करना, यानी, कांस्टेबल क्लर्क और जांच अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने को साबित करने के लिए बयान तहरीर और गवाह के रूप में अपनी जांच की मांग करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में आवेदन को अस्वीकार करने के साथ-साथ दो व्यक्तियों (जिन्होंने उक्त लिखित बयान/बयान तहरीर को प्रमाणित करने वाले व्यक्तियों के रूप में हस्ताक्षर किए थे) की सुनवाई की कार्यवाही में गवाह के रूप में जांच, प्राथमिकी और बयान तहरीर की वास्तविकता को दूषित नहीं करता है, और कोई छूट नहीं देता है।[पारस 82,83,85,87 और 89]

406 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**धारा **32-**एफ**.** आई**.** आर**./**बयान तहरीर को मृत्यु घोषणा के रूप में व्यवहार:

आयोजित किया गया:एफ. आई. आर. के रूप में दर्ज एक घायल व्यक्ति के बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है और इस तरह का बयान यू/एस स्वीकार्य है।32 साक्ष्य अधिनियम। तथ्यों पर, मृतक ने बयान तहरीर के रूप में अपना बयान दिया और लेन-देन की पूरी घटना और परिस्थितियों को सुनाया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।इसके बाद, विचाराधीन घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।घायल के बयान तहरीर के आधार पर दर्ज की गई एफ़. आई.

आर. को मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है, जो अपने आप में सबूत का एक ठोस टुकड़ा है और यू/एस स्वीकार्य है। 32(1) साक्ष्य अधिनियम। [पैरा 91 और 95]

साक्ष्य-नेत्र साक्ष्य-मृतक की माँ की गवाही, एक चश्मदीद गवाह, जिसे निचली अदालत में उसकी जाँच से ठीक पहले आरोपी पक्ष द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

आयोजित किया गयाःउच्च न्यायालय को मामले में हुई घटनाओं के चेकर इतिहास पर विचार करना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में उक्त आपराधिक मुकदमे के सभी हितधारकों के संचालन के बारे में गंभीर टिप्पणियां थीं।सी. डब्ल्यू.-1 की पहली परीक्षा को उच्च न्यायालय द्वारा उस पहली परीक्षा से कुछ दिन पहले उसके अपहरण के आरोप पर रद्द कर दिया गया था।वह लगातार खतरे में थी और गंभीर परिणाम का सामना करने का डर था, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।इन परिस्थितियों में, यदि उसने अपनी जिरह के अंत में कहा था कि उसके बेटे ने उसे निचली अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था, तो ऐसा कुछ भी विरोधाभासी या आश्चर्यजनक नहीं है जो बाकी मूल नेत्र साक्ष्य को प्रशिक्षित साक्ष्य के रूप में माने।विचाराधीन घटना के दौरान हुई घटनाओं के अनुक्रम के संबंध में सी. डब्ल्यू.-1 की गवाही में कोई गंभीर विसंगति या भिन्नता नहीं है।जब सी. डब्ल्यू.-1 का पूरा परिवार इतने सारे तूफानों का सामना कर रहा था, तो एक बेटे के लिए अपनी माँ (जो बूढ़ी, अनपढ़, देहाती महिला थी, जिसने भारी आघात का सामना किया था) से यह कहना स्वाभाविक है कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों के नाम का खुलासा करना नहीं भूलना चाहिए, जितना कि उसकी परीक्षा का दूसरा अवसर, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 311 के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आदेश दिया गया था, उसके लिए निचली अदालत के समक्ष सच बोलने का अंतिम अवसर था।सी. डब्ल्यू.-1 के बयान में कुछ भी असामान्य नहीं है।उसका बयान विश्वसनीय पाया गया है, और नीचे की अदालतों ने इसे इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि यह सुनी-सुनाई और सिखाया गया था।[पारस 101,102,103,104 और 114] 407

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973 -s.311-**पावर अंडर-स्कोपः

आयोजित किया गयाःs.311 सी. आर. पी. सी. किसी भी अदालत को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।ऐसा व्यक्ति गवाह के रूप में बुलाया गया व्यक्ति नहीं हो सकता है।वापस बुलाने और पुनः जाँच करने की शक्ति भी निहित है। अवधारणा यह है कि यह मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक होना चाहिए।इस शक्ति का प्रयोग न केवल विचारण न्यायालय द्वारा बल्कि अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।इस प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि न्यायालयों का प्रयास सच्चाई का पता लगाना है जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक होगा।[पैरा 112]

दंड संहिता, **1860-**एस. एस**.302** और **307-**दोहरी हत्या-हाथ से लगी चोटों के कारण-बरी होने के खिलाफ अपील।

आयोजित किया गयाःतथ्यों पर, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौतें हत्या की प्रकृति की थीं।चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्टों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का इस हद तक समर्थन किया कि चोटें हाथ की हड्डी के कारण लगी थीं, जो तीन घायलों में से दो के लिए घातक साबित हुई।घायल लोगों में से एक (जिसकी बाद में मृत्यु हो गई) द्वारा दिए गए मौखिक बयान पर दर्ज फरद बयान, जिसे बाद में एक प्राथमिकी में बदल दिया गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य था और इसे मृत्यु घोषणा या उसके अंतिम बयान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।अभियोजन पक्ष ने शत्रुतापूर्ण गवाहों के माध्यम से भी यह स्थापित किया था कि फरद बयान में दी गई घटना की तारीख, समय और स्थान पूरी तरह से स्थापित थे।अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष उनके बाद के आचरण को देखते हुए निकाला जाता है।अभियुक्त, जाँच एजेंसी, लोक अभियोजक और मुकदमे का संचालन करने वाले पीठासीन अधिकारी के आचरण के संबंध में दिनांक 13.07.2007 की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निर्णय का न्यायिक नोटिस लिया जाता है।सी. डब्ल्यू.-1 का कथन विश्वसनीय पाया गया है, और नीचे दिए गए न्यायालयों ने इसे इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि यह सुनी-सुनाई और सिखाया गया था।मृत्यु घोषणा और सी. डब्ल्यू.-1 का बयान पूरी तरह से स्थापित करता है कि यह प्रतिवादी नंबर 2 (आरोपी नंबर 1) था, जिसने अपने हथियार से चोटें पहुंचाई थीं, जो तीन घायलों में से दो के लिए घातक साबित हुई और तीसरे जीवित घायल को भी चोट लगी।उत्तरदाता नं.2 इस प्रकार एस. एस. के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।302 और 307 आई. पी. सी. शेष अभियुक्त, यद्यपि उचित जाँच के बाद आरोप-पत्र में नामित किए गए हैं, क्योंकि उनके नाम मृतक के फरद बयान (मृत्यु घोषणा) या सी. डब्ल्यू. 1 के बयान में नहीं लिए गए थे, इसलिए उनके बरी होने के फैसले में कोई बाधा नहीं है।[पैरा 114]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अरबादा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार जैसवाल और अन्न। (2003) 8 एससीसी 745:[2003] 5 पूरक।एस. सी. आर. 90; राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य

(1998) 4 एससीसी 517:[1998] 2 एस. सी. आर. 109 और बालू सुदाम खाल्डे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 355-पर भरोसा किया गया।

चन्नप्पा अंदानप्पा सिद्दारेड्डी और अन्य बनाम राज्य 1980 सी. आर. एल. एल. जे. 1022; जयंतीभाई लालूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य 1992 सी. आर. एल. एल. जे. 2377; श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य 1998 सी. आर. एल. एल. जे. 2879; श्री अजय चौधरी बनाम राज्य 2011 सी. आर. एल. जे. 1347 और नरेंद्र राजपूत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के माध्यम से सचिव, गृह विभाग के माध्यम से अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय।

ए. एफ. एयर (पुलिस) और अन्य 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन सीएच 16-अनुमोदित।

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और अन्य [निर्णय दिनांक 13-03-2007

2006 के Cr.WJC संख्या 717] में पटना उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट।केरल राज्य बनाम उन्नी (2007) 2 एस. सी. सी. 365:[2006] 9 पूरक।एससीआर

931; प्रभाकर बनाम बासवराज के. (2022) 1 एससीसी 115; वेद मित्तर गिल बनाम यूटी,

चंडीगढ़ (2015) 8 एस. सी. सी. 86:[2015] 5 एससीआर 73; जोसेफ एम पुथुसेरी बनाम टी. एस. झोन और अन्य (2011) 1 एस. सी. सी. 503:[2010] 14 एस. सी. आर. 427; अनंत चिंतामन लागु बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500:[1960] 2 एससीआर 460; मुन्नू राजा और एक अन्य बनाम एम. पी. राज्य (1976) 3 एस. सी. सी 104:[1976] 2 एससीआर 764; सुरेश

चंद्र जन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। (2017) 16 एससीसी 466:[2017] 13 एससीआर 1; हरियाणा राज्य और अन्य. बनाम.च. भजन लाल और अन्य आकाशवाणी 1992

एससी 604:[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 259 और ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 158:[2004] 3 एस. सी. आर. 1050-संदर्भित।

197 लोक अभियोजकों की नियुक्तियों पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (2006) और भारत के 154 वें विधि आयोग की रिपोर्ट-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726।

2009 के सी. आर. आर. पी. संख्या 1345 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2011 से।

रूपः

अभय कुमार, रजत खत्री, शगुन रुहिल, सुश्री नीतू जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, नीरज शेखर, सनी चौधरी, मनोज कुमार, देवाशीष भरुका, सुश्री सर्वश्री, सुश्री निशी कश्यप, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. सब कुछ मुख्य अभियुक्त प्रभुनाथ सिंह की योजना और इच्छा के अनुसार चल रहा था, जो एक राजनीतिक नेता और प्रासंगिक समय में संसद के एक मौजूदा सदस्य थे, क्योंकि उन्होंने प्रशासन और जांच एजेंसी का पूरा समर्थन जुटाया था; उन्होंने आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्यों के लगभग सभी गवाहों को भड़काया और जीत लिया था (जिन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था), जांच अधिकारी सहित संबंधित औपचारिक गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में पेश नहीं किया गया था, मामले का अभियोजन करने वाले लोक अभियोजक बचाव पक्ष का समर्थन कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी अपने पवित्र कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील थे, लेकिन जब उन्होंने एक स्पष्ट गलती की तो सब कुछ उल्टा हो गया और उस एक गलती ने उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी।उन्हें अदालत का गवाह मिला, श्रीमती। मृतक राजेंद्र राय की माँ लालमुनि देवी ने अपना बयान दर्ज कराने की तारीख से दस दिन पहले अपहरण कर लिया था।इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जो एक अनियंत्रित घटना के परिणामस्वरूप निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट थी जो उस तारीख को निचली अदालत में हुई थी जिस दिन श्रीमती. लालमुनि देवी-सी. डब्ल्यू.-1 ने निचली अदालत के समक्ष गवाही दी और निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए निरीक्षण न्यायाधीश की एक अन्य रिपोर्ट दी।इन सभी पहलुओं पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

2. यह अपील 2009 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1345 में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2 के निर्णय और आदेश की शुद्धता पर जोर देती है, जिसमें उक्त पुनरीक्षण याचिका को 2007 की 469 और 2007 की 470 की सत्र सुनवाई संख्या में पारित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3, पटना के निर्णय को स्वीकार करते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

3. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147,148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 1995 के मामला संख्या 62 के रूप में बिहार के छापरा के पुलिस स्टेशन मसरख (पानापुर) जिला सारण में 25.03.1995 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में, आई. पी. सी. की धारा 307 को जोड़ा गया क्योंकि तीन घायलों में से दो की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।उक्त एफ़. आई. आर. घायल राजेंद्र राय के बयान के आधार पर सुबह लगभग 10 बजे दर्ज की गई थी, जिसने बाद में दम तोड़ दिया।पानापुर के पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर एन. एन. ठाकुर ने दो अन्य घायलों दारोगा राय और श्रीमती की उपस्थिति में कैंप राजकिया अस्पताल, पानापुर के गलियारे में बयान दर्ज किया। देवी और दो अन्य व्यक्तियों नरेंद्र सिंह और संजीव कुमार सिंह के सामने भी जिन्होंने प्राथमिकी में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे।

4. अभियोजन पक्ष के बयान में, जैसा कि राजेंद्र राय के बयान में दर्ज किया गया है, बताया गया है कि सूचना देने वाला अपने गांव के आठ-नौ अन्य लोगों के साथ सुबह लगभग 9 बजे आईडी1 पर चुनाव में अपना वोट डालने के बाद लौट रहा था; जब वे अपने आवास के दक्षिण पूर्व में पहुंचे, तो वे लोग बंदूकों से लैस एक कार में आए और कार रोक दी; प्रभुनाथ सिंह (आरोपी संख्या 1), जो बिहार पीपुल्स पार्टी (बी. पी. पी.) के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार थे, ने कार में बैठे हुए पूछा कि उन सभी ने किसे वोट दिया था; सूचना देने वाले ने जवाब दिया कि उन्होंने जनता दल पार्टी के पक्ष में अपना वोट डाला था, जिसके पास चक्रचाप का प्रतीक था; यह सुनकर कार चली गई।फाइरिंग के परिणामस्वरूप तीन लोग घायल हो गए।

5. एफ. आई. आर. के आधार पर जांच शुरू की गई।घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।घटना स्थल से तीन इस्तेमाल किए गए कारतुस बरामद किए गए, उन्हें सील कर दिया गया और एक वसूली ज्ञापन तैयार किया गया।जाँच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए।घायलों को चिकित्सा उपचार प्रदान किया गया, डॉक्टर ने चोट की रिपोर्ट तैयार की और दो घायलों की मृत्यु के बाद, दो मृतक व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार की गई।दारोगा राय की घटना के तुरंत बाद मृत्यु हो गई और उनका पोस्टमार्टम 26.03.1995 पर किया गया।राजेंद्र राय की मृत्यु लगभग पांच महीने बाद 21.08.1995 पर हुई और उनका पोस्टमार्टम 22.08.1995 पर किया गया।

1 संक्षेप में, आई. पी. सी.

6. प्रभुनाथ सिंह (आरोपी नंबर 1) गिरफ्तारी से बच रहे थे, न ही वह आत्मसमर्पण कर रहे थे क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे।जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त द्वारा दी जा रही रकम पर विचार करते हुए पाया कि छापरा में जिला सारण में मामलों का संचालन करना संभव नहीं था और इसलिए सभी छह मामलों को हजारीबाग में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।इन सभी मामलों में प्रभुनाथ सिंह आरोपी थे।स्थानांतरण को उच्च न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।हालाँकि, बाद में वर्ष 2000 में, बिहार राज्य के पुनर्गठन पर, क्योंकि हजारीबाग झारखंड राज्य में आ गया था, वर्तमान मुकदमे को बिहार के भागलपुर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था।7. 11 वर्षों के बाद ही निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी. की विभिन्न धाराओं के तहत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए जा सके, जैसा कि ऊपर बताया गया है।अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की।यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि इन 11 गवाहों में से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-7 से एक ही दिन यानी 27.06.2006 पर पूछताछ की गई थी।इन सभी सात गवाहों का बयान कमोबेश इस बात से मिलता-जुलता था कि उन्होंने घटना को देखा था, लेकिन यह नहीं देखा कि दोनों मृतकों की हत्या किसने की।अभियोजन पक्ष द्वारा सभी सात गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। पीडब्लू-8 से पीडब्लू-10 (तीन गवाहों) से 10.08.2006 पर पूछताछ की गई।

8. इस बीच, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 2 की धारा 311 के तहत एक आवेदन पर, निचली अदालत ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, मृतक (राजेंद्र राय) की मां लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) को समन भेजा क्योंकि अदालत 2 को उसका बयान दर्ज करने के लिए समन किया गया था।आई. डी. 1 को लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) और उनके पति का प्रभुनाथ सिंह (आरोपी नंबर 1) के भाई और उनके सहयोगियों ने उनके आवास से अपहरण कर लिया था।अपीलार्थी (सी. डब्ल्यू.-1 के बेटे) ने स्थानीय पुलिस में शिकायत की और जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसने जिला सरन के पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक और राज्य के गृह सचिव से भी संपर्क किया, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।इसके परिणामस्वरूप पटना उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई।9. उक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका Cr.WJC संख्या 717 के रूप में दर्ज की गई थी।

2006, हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और अन्य।

10. उक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निर्णय पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 13.03.2007 के विस्तृत फैसले के माध्यम से किया था।

डिवीजन बेंच ने विचाराधीन मुकदमे के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए।उक्त निर्णय पर बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी।11. आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, मुकदमा फिर से सबसे घटिया तरीके से आगे बढ़ा, यहां तक कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया।राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष गवाहों से पूछताछ कराने के बजाय, उनकी ओर से अपने पहले के बयानों को दोहराते हुए हलफनामा दायर किया।केवल दो गवाहों पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-10 से फिर से पूछताछ की गई।पीडब्लू-2, पीडब्लू-4 से पीडब्लू-7 के संबंध में, अधिकारियों को यह कहते हुए निर्देशित किया गया कि उनके पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है और उन्होंने पहले दिए गए अपने बयान को दोहराया।श्रीमती लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) से फिर से पूछताछ की गई और 29.09.2008 पर उनसे जिरह की गई, जहां उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का पूरा समर्थन किया।अभियोजन साक्ष्य 29.09.2008 पर बंद कर दिया गया था।निचली अदालत ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से दोनों सत्र मुकदमों में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। 2007 का 469 और 2007 का 470।राज्य द्वारा बरी किए जाने के फैसले को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।12. मुकदमे के दौरान, सी. डब्ल्यू.-1 के बयान की तारीख यानी 03.11.2006 पर, ट्रायल कोर्ट में कुछ बहस हुई, जहाँ आरोपी के वकीलों और पैरोकर ने कोर्ट रूम के अंदर सी. डब्ल्यू.-1 के परिवार के सदस्यों पर हमला किया।यह समाचार पत्रों में जाँच करने वाले न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रकाशित किया गया था।निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने एक जांच की स्थापना की जिसमें उन्होंने साक्ष्य एकत्र किए और बयान दर्ज किए।उसी के आधार पर, उन्होंने निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी के आचरण की आलोचना करते हुए 21.02.2007 दिनांकित एक विस्तृत रिपोर्ट दी।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के फैसले में दिनांकित 21.02.2007 रिपोर्ट में निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश के निर्णय को शामिल किया गया है।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निर्णय से प्रासंगिक उद्धरण यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"जब यह पता चला कि 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर की अदालत में अदालती कार्यवाही के दौरान हुए विवाद के बारे में कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से, न्यायाधीश के निरीक्षण न्यायाधीश श्री सी. के. प्रसाद ने रिपोर्ट मांगी और मामले में जांच का आदेश दिया।एक गहन और श्रमसाध्य पूछताछ के बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, जिसका दिनांक 21.2.2007 था। रिपोर्ट की शुरुआत में, उन्होंने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जिसमें 1996 के मसरख (पानापुर) पी. एस. मामले से उत्पन्न मुकदमा, जो आम तौर पर चापड़ा में होना चाहिए था, को पहली बार हजारीबाग में स्थानांतरित कर दिया गया था और जब राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप हजारीबाग झारखंड में गिर गया, तो इसे लाया गया था।

भागलपुर।जिला और सत्र न्यायाधीश, 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लोक अभियोजक, गवाहों के बयानों और डॉ. डी. एन. गौतम की रिपोर्ट को ध्यान में रखने के बाद, जिन्हें उन्होंने जांच सौंपी थी, माननीय न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित पाया और अभिनिर्धारित किया।

"मुझे जिला और सत्र न्यायाधीश, भागलपुर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की इस रिपोर्ट का समर्थन करने में जरा भी संकोच नहीं है कि गवाह लालमुनि देवी को उचित सुरक्षा में पेश नहीं किया गया था।वह अपनी परीक्षा से पहले डर गई थी और भारी तनाव में थी।जाँच से पहले अदालत कक्ष के अंदर उसे डराया-धमकाया गया।वह सामान्य नहीं थी और अदालत का माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण और असामान्य था।अभिलेख पर मौजूद सामग्री ने उन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि लालमुनि देवी के साक्ष्य को स्वेच्छा से बनाया गया नहीं कहा जा सकता है।

मेरा मानना है कि यदि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने बहुत कम विवेक का प्रयोग किया होता, तो यह अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी।न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पाया कि गवाह सामान्य नहीं लग रहा था और वास्तव में, डरा हुआ लग रहा था और उचित सुरक्षा के तहत पेश नहीं किया गया था, उसे इन तथ्यों को गंभीरता से लेना चाहिए था और न्यायालय को हटाने से रोकना चाहिए था।

साक्ष्य दर्ज करने के इस न्यायालय के निर्देश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि न्यायालय इस तथ्य के बावजूद उसका बयान दर्ज करने के लिए बाध्य था कि उसे उचित सुरक्षा के बिना पेश किया गया था।मेरा मानना है कि न्यायालय का पीठासीन अधिकारी भी इस मामले में बुरी तरह विफल रहा है।"

13. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही को भी उचित रूप से संदर्भित करने की आवश्यकता है।आई. डी. 2 पर लालमुनी देवी (सी. डब्ल्यू.-1) के अपहरण की घटना के बाद, हैबियस कॉर्पस याचिका आई. डी. 1 पर दायर की गई थी और अदालत ने आई. डी. 3 पर सुनवाई की थी।उक्त तिथि पर महाधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया था।आई. डी. 1 पर, महाधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि लालमुनी देवी और रमा राय के अपहरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जांच शुरू की गई और रात में ही रमा राय कार्यालय प्रभारी और उप-मंडल पुलिस कार्यालय के समक्ष पेश हुईं।उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों से कुछ धमकियों की आशंका में, वह और उनकी पत्नी आत्म-सुरक्षा के लिए भूमिगत हो गए थे।

रामा राय ने कहा कि वह फैलाए गए कुछ अफवाहों के कारण अपनी मर्जी से छिपने के बारे में सच बोलने के लिए खुद आगे आए थे।हालाँकि, रमा राय ने अपनी पत्नी लालमुनी देवी के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार कर दिया।महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि लालमुनि देवी को न केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बल्कि अन्यथा भी पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी ताकि उन्हें किसी के द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके।महाधिवक्ता के उपरोक्त बयान पर, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए रामा राय को उनका बयान दर्ज करने के लिए पेश करने का निर्देश दिया। अगली तारीख रामा राय के निर्माण के लिए 08.11.2006 थी। डिवीजन बेंच द्वारा आगे यह प्रावधान किया गया था कि इस बीच यदि लालमुनि देवी 03.11.2006 पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होती हैं, तो अदालत मामले में आगे बढ़ सकती है, लेकिन यदि वह उक्त तारीख को पेश होने में विफल रहती हैं, तो अभियोजन पक्ष के मामले को अदालत के अगले आदेश तक बंद नहीं किया जाना चाहिए।

14. 08.11.2006 पर, यह बताया गया कि लालमुनि देवी का बयान दर्ज की गई तारीख यानी 03.11.2006 पर दर्ज किया गया था।इसके बाद उन्हें भागलपुर से छापरा ले जाया गया जहां से उनका अपहरण कर लिया गया था और उनका बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत छापरा में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था।उक्त बयान में, उसने कहा कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था।उक्त बयान को जवाबी हलफनामों के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।उपरोक्त प्रस्तुतियों पर, महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका निष्फल हो गई थी।

15. डिवीजन बेंच को आगे सूचित किया गया कि 03.11.2006 पर लालमुनि देवी का बयान सामान्य और सहज नहीं था। उसकी उपस्थिति के कारण लोगों के दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, हालांकि उक्त घटना की सूचना ट्रायल जज ने नहीं दी थी। हालाँकि, इसने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के माध्यम से निरीक्षण न्यायाधीश, भागलपुर का ध्यान आकर्षित किया था और उसी के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट माँगी और जांच का निर्देश दिया।निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा दी गई 21.02.2007 की अंतिम रिपोर्ट पहले ही ऊपर निर्दिष्ट की जा चुकी है।

16. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके माता-पिता को मुक्त नहीं किया गया था और वे अभी भी अभियुक्तों के चंगुल और रिमोट कंट्रोल में थे।इसलिए खंड पीठ ने मामले की कार्यवाही बंद नहीं की और न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद द्वारा जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि वे निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश थे।

17. डिवीजन बेंच ने आगे लिखा कि इस बीच लालमुनी देवी और उनके पति के अपहरण के संबंध में दो शिकायतें दर्ज की गईं। एक का नेतृत्व उनकी बहू गिरिजा देवी ने 2006 के मामला संख्या 81 के रूप में दर्ज पानापुर पुलिस स्टेशन में किया था और दूसरा मामला मसरख पुलिस स्टेशन जिला में दर्ज किया गया था।सरन ने एक शंकर राय के कहने पर 2006 का मामला No.129 दर्ज किया। बाद में शंकर राय ने वापस ले लिया और एक लिखित नोट का नेतृत्व किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने किसी गलतफहमी के कारण शिकायत का नेतृत्व किया था।उक्त शंकर राय उन अपहृत व्यक्तियों में से एक थे जो लालमुनि देवी के साथ आई. डी. 1 पर निचली अदालत में पेश होने के समय उनके साथ थे।डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि इन दोनों शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाए और जांच की रिपोर्ट पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण रेंज के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत की जाए।

18. आई. डी. 1 को लालमुनी देवी डिवीजन बेंच के सामने पेश हुईं और उनके द्वारा विधिवत रूप से शपथ लिए गए एक शपथ पत्र का नेतृत्व किया।उक्त एफ़ी दावित में, यह कहा गया था कि उन्हें और उनके पति रमा राय को प्रभुनाथ सिंह के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और वे पूरे समय उनके पूर्ण नियंत्रण में थे।वह अदालत के समक्ष पेश हुईं और डिवीजन बेंच के समक्ष मौखिक बयान दिया।अदालत ने दर्ज किया है कि वह एक बूढ़ी और देहाती गाँव की महिला थी और तनाव में लग रही थी और काफी कमजोर लग रही थी।वह केवल भोजपुरी बोलती थी जिसमें डिवीजन बेंच के सदस्यों में से एक न्यायमूर्ति एस. पी. सिंह भद्दे थे।उसने अदालत के समक्ष कहा कि वास्तव में प्रभुनाथ सिंह के लोगों ने उसका और उसके पति का अपहरण कर लिया था। उन्होंने उसके खिलाफ बल प्रयोग किया और उसे धमकी दी।आई. डी. 1 पर निचली अदालत के समक्ष उनके दोनों बयान और सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत उनका बयान स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं थे, बल्कि दबाव और धमकी के तहत थे।

19. इस स्तर पर भी महाधिवक्ता ने दोहराया कि अपहरण के संबंध में मामले में आगे कुछ भी नहीं बचा है।हालांकि, डिवीजन बेंच ने कार्यवाही को बंद करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह स्पष्ट था कि सतह के पीछे छिपना, दो पुराने ग्रामीणों के कथित अपहरण की तुलना में बहुत बड़ा और कहीं बेहतर मुद्दा था।उच्च न्यायालय के महापंजीयक को पटना में न्यायाधीशों के अतिथि गृह में लालमुनि देवी के ठहरने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था ताकि उन्हें किसी भी तरह के विवाद से अलग रखा जा सके और उनका बयान एक मजिस्ट्रेट द्वारा अतिथि गृह में 20.11.2006 पर दर्ज किया जाए।डिवीजन बेंच ने पुलिस के आचरण पर भी ध्यान दिया कि वे वास्तविकता को देखने के लिए तैयार नहीं थे और

प्रभुनाथ सिंह के प्रभाव में काम करना जारी रखा।डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. डी. एन. गौतम को कार्यवाही की निगरानी करने का निर्देश दिया।

20. 20.11.2006 पर, लालमुनि देवी का बयान लिखित रूप में दर्ज किया गया था और मजिस्ट्रेट द्वारा एक वीडियो कैसेट भी तैयार किया गया था और एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया था।05.12.2006 पर महाधिवक्ता ने डॉ. गौतम की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।उन्होंने पर्यवेक्षण रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की थी और इसे जांच के उथले टुकड़ों में से एक बताया था।यह तब था जब अदालत ने निर्देश दिया कि दो मामलों की जांच डॉ. गौतम के समग्र प्रभार के तहत की जाएगी।21. 24.01.2007 पर महाधिवक्ता ने डॉ. गौतम की रिपोर्ट प्रस्तुत की।इस बीच, डिवीजन बेंच को 21.02.2007 दिनांकित निरीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई।08.11.2006,17.11.2006 और 05.12.2006 पर पारित आदेशों को इस न्यायालय के समक्ष 2007 की क्रमशः विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 187,377 और 378 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।सभी एस. एल. पी. को एक सामान्य आदेश दिनांक 15.01.2007 द्वारा कुछ टिप्पणियों द्वारा खारिज कर दिया गया था।

22. डिवीजन बेंच के सामने तीन सामग्री थी-लालमुनि देवी का एफ़ी दावित, मजिस्ट्रेट द्वारा 20.11.2006 पर दर्ज किया गया उनका बयान, डॉ. गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनांक 30.11.2006,16.12.2006 और 22.01.2007 की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद, निरीक्षण न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 21.02.2007।

23. डिवीजन बेंच ने लालमुनी देवी के बयान को विस्तार से दर्ज करने के लिए आगे बढ़े कि कैसे उन्हें उनके पति के साथ दीना नाथ सिंह (प्रभुनाथ सिंह के भाई) और परसा के विधायक छोटेलाल द्वारा अपहरण कर लिया गया था।उन्होंने विस्तार से बताया था कि उन्हें किन सभी स्थानों पर ले जाया गया था और उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया था।उसने यह भी बताया कि प्रभुनाथ सिंह, उसके सुरक्षा गार्ड, मुखिया और शंकर ने उसे अपना बयान बदलने के लिए कहा और अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो प्रभुनाथ सिंह उसके दूसरे बेटे (हरेंद्र राय) को भी मार देगा।उसने यह भी बताया कि कैसे उसे अदालत कक्ष में ले जाया गया जहां वह घटना हुई जिसमें प्रभुनाथ सिंह के लोगों ने उसके बेटे, बहू और दामाद पर हमला किया जो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे।न्यायाधीश अदालत में बैठे थे और उनकी उपस्थिति में उनके परिवार के सदस्यों पर हमला किया गया लेकिन न्यायाधीश ने कुछ नहीं कहा।उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।उसे फिर से प्रभुनाथ सिंह और उसके लोग 03.11.2006 पर दरबार से ले गए।उसने यह भी कहा कि उसके पास 417 नहीं था

03.11.2006 पर कोई भी बयान दिया गया और केवल उसके अंगूठे के निशान लिए गए क्योंकि वह डर गई थी और डर गई थी कि वह अपने दूसरे बेटे, बहू और दामाद को खो सकती है जिन पर लगातार हमला किया जा रहा था।तीन-चार दिन बाद वह अपने घर पहुंची।उसने जाँच रिपोर्ट में अपने बयान में प्रभुनाथ सिंह के काम करने के बारे में भी बताया और कहा कि वह फिर से उसका अपहरण करने की तैयारी कर रहा था।लालमुनी देवी का ईमानदार और सच्चा संस्करण ऊपर दर्ज किया गया है।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उन्होंने डी. आई. जी., सारण रेंज, छापरा की रिपोर्ट की निंदा की थी।उन्होंने यह देखते हुए रिपोर्ट का समापन किया था कि दोनों मामलों की जांच काफी आकस्मिक थी और जांच का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी दयनीय था।उन्होंने लालमुनी देवी और रमा राय के बयान भी दर्ज किए थे जिन्हें फिर से क्रम में दोहराया गया था और इसे दोहराया नहीं जा रहा है क्योंकि यह कमोबेश ऊपर दर्ज किए गए बयानों के समान है।डॉ. गौतम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी टिप्पणी की कि घटनाओं का क्रम केवल तब शुरू हुआ जब धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन की अनुमति दी गई और लालमुनि देवी को 03.11.2006 पर अदालत के गवाह के रूप में बुलाया गया।24. इसके अलावा, डॉ. गौतम की रिपोर्ट के अनुसार, लालमुनि देवी के अपहरण के बाद, उनके बेटे और बहू ने न केवल पानापुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी, बल्कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक और पटना में गृह सचिव के समक्ष भी प्रतिनिधित्व किया।पुलिस महानिदेशक ने बेटे और बहू द्वारा दी गई याचिका को 25.10.2006 पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक, छापरा को फैक्स द्वारा भेज दिया। उसी दिन पुलिस अधीक्षक, छापरा के कार्यालय में इसे सूचित और प्राप्त किया गया था, लेकिन यह 02.11.2006 तक अनुपस्थित रहा।31.10.2006 पर याचिका दायर किए जाने के बाद ही पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त याचिका का औपचारिक नोटिस लिया गया था।रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 24.10.2006 से 03.12.2006 तक, लालमुनि देवी का बेटा चापड़ा, पटना और भागलपुर के बीच एक से दूसरे स्थान पर भाग रहा था, लेकिन किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण ने उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया।डॉ. गौतम ने कहा कि उन्होंने दोनों मामलों की जांच को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी और जांच में स्पष्ट चूक और अवहेलना की ओर भी इशारा किया था।उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि गवाहों के खिलाफ दर्ज मामले और पुलिस का रवैया गंभीर चिंता का एक और कारण था।उन्होंने अदालत से इस मामले में आगे शामिल होने से

बचने का भी अनुरोध किया क्योंकि उनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं थी जिसके द्वारा वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सकें।

25. डिवीजन बेंच आगे निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश की दिनांकित 21.02.2007 रिपोर्ट में दी गई शर्तों को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे हम इस आदेश के पहले भाग में पहले ही पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।

26. डिवीजन बेंच ने आगे इस तथ्य को दर्ज किया कि उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियाँ और रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य स्पष्ट रूप से चापड़ा में लालमुनि देवी के अपहरण और भागलपुर अदालत के समक्ष हो रहे हत्या के मुकदमे के बीच संबंध स्थापित करते हैं।लालमुनि देवी को अपने बेटे की हत्या से संबंधित मुकदमे में स्वतंत्र रूप से गवाही देने से रोकने के लिए उनका अपहरण कर लिया गया था।लालमुनी देवी के अपहरणकर्ता यह सुनिश्चित करने की अपनी योजना में सफल रहे कि उन्हें भागलपुर दरबार के समक्ष स्वतंत्र रूप से गवाही देने की अनुमति न दी जाए।डिवीजन बेंच के आदेश को आदेश से निकाला गया है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"...डॉ. डी. एन. गौतम की रिपोर्ट और लालमुनि देवी का बयान स्पष्ट रूप से चापड़ा में उनके अपहरण और भागलपुर अदालत में हो रहे हत्या के मुकदमे के बीच संबंध स्थापित करता है।यह स्पष्ट है कि लालमुनि देवी का अपहरण इसलिए किया गया था ताकि वह अपने बेटे की हत्या से संबंधित मुकदमे में स्वतंत्र रूप से गवाही न दे सके।अदालत में दिए गए और न्यायाधीशों के अतिथि गृह, पटना में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान और भागलपुर न्यायाधीश के निरीक्षण न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि लालमुनि देवी के अपहरणकर्ता अपनी साजिश में सफल रहे और उन्हें भागलपुर अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देने की अनुमति नहीं दी गई।"

27. उपरोक्त सामग्री के रिकॉर्ड में आने के बावजूद, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभुनाथ सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने खंड पीठ द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का विरोध करना जारी रखा।उन्होंने पुराने विषय की ओर रुख किया कि याचिका को निष्फल कर दिया गया था और न्यायालय अनावश्यक रूप से मामले में आगे बढ़ रहा था।निवेदन यह था कि याचिका में दावा की गई दोनों राहतें, लालमुनि देवी की बरामदगी और दूसरा मामला दर्ज कराने और उनके अपहरण के संबंध में की गई जांच पहले ही मंजूर की जा चुकी है और कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।उन्होंने अदालत के पिछले आदेशों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें डॉ. डी. एन. गौतम, एडिशनल से रिपोर्ट मांगी गई थी।पुलिस महानिदेशक।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिपोर्ट ऐसी सामग्री पर आधारित थी जो सुनी-सुनाई गवाही की प्रकृति की थी और इस आधार पर अदालत यह नहीं मान सकती है कि निचली अदालत के समक्ष लालमुनि देवी का बयान स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं था।

28. डिवीजन बेंच ने प्रभुनाथ सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विंध्य केसरी कुमार की दलीलों को बिना किसी आधार या योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया।डिवीजन बेंच ने आगे यह आदेश दर्ज किया कि निचली अदालत के समक्ष लालमुनि देवी का बयान स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि दबाव और धमकी के तहत किया गया था, जबकि वह आरोपी के नियंत्रण में थी।उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित हैः

"...प्रत्येक आपराधिक मुकदमा, विशेष रूप से दोहरी हत्या से संबंधित मुकदमा निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।वर्तमान मुकदमा सामान्य से हटकर चापड़ा में आयोजित नहीं किया गया था, लेकिन इसे हजारीबाग और फिर भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।लेकिन अदालत के समक्ष मौजूद सामग्री इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि मुकदमे की कार्यवाही में हिंसक रूप से हस्तक्षेप किया गया था और मुकदमे की पवित्रता का बुरी तरह से दुरुपयोग किया गया है।उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आलोक में, अदालत को 7 वें ए. डी. डी. एल. के समक्ष 2003 के सत्र परीक्षण No.19 में लालमुनी देवी के बयान को 03.11.2006 पर दर्ज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। भागलपुर के सत्र न्यायाधीश स्वैच्छिक नहीं थे।यह दबाव और धमकी के तहत किया गया था, जबकि वह पूरी तरह से आरोपी के नियंत्रण में थी।इस अदालत को जो बात अवर्णनीय रूप से खेदजनक लगती है, वह यह है कि मुकदमे का विध्वंस केवल उन लोगों को उकसाने, चूक के कृत्यों और कमीशन द्वारा संभव बनाया गया था, जो यह

सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे कि इसे स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाना चाहिए।निचली अदालत में जो अपवित्र नाटक हुआ, वह चपरा पुलिस की निष्क्रियता और मिलीभगत, मुकदमे का संचालन करने वाले पी. पी. और आरोपी की ओर से पेश बचाव पक्ष के वकील की सक्रिय मदद और सहयोग के बिना संभव नहीं था।पूरे प्रकरण में सबसे दुखद बात यह है कि पीठासीन न्यायाधीश ने कोर्ट रूम में क्या हो रहा था, इस पर नेल्सन की नज़र घुमा दी।वह न केवल अदालत कक्ष में एक मूक दर्शक बने रहे, बल्कि इस अदालत को मामले की रिपोर्ट भी नहीं की।जब जांच का निर्देश दिया गया था तो सभी संबंधित लोगों द्वारा इसे छिपाने का स्पष्ट प्रयास किया गया था।

29. अंत में, डिवीजन बेंच ने दर्ज किया कि उक्त समय तक महाधिवक्ता, रखी गई सामग्री का अध्ययन करने के बाद, मामले की गंभीरता के प्रति पूरी तरह से सचेत हो गए।उन्होंने अपना पहला रुख छोड़ दिया जो आरोपी प्रभुनाथ सिंह के वकील के रुख के समान था कि याचिका को निष्फल कर दिया गया था और

आगे चलकर उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव दिए।डिवीजन बेंच द्वारा दर्ज महाधिवक्ता के रुख को दोहराना सार्थक होगा, जो इस प्रकार हैः

"...यहाँ, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि महाधिवक्ता मामले की गंभीरता को पूरी तरह से समझते थे।उन्होंने अपने पहले के रुख को पूरी तरह से छोड़ दिया कि लालमुनि देवी की उपस्थिति के साथ, रिट याचिका निष्फल हो गई थी और अदालत को कुछ उपयोगी सुझाव दिए।महाधिवक्ता ने कहा कि हालांकि चापड़ा में लालमुनि देवी के अपहरण और भागलपुर में होने वाले मुकदमे के बीच एक स्पष्ट संबंध था, लेकिन दोनों मामलों को अलग-अलग निपटाने की आवश्यकता थी क्योंकि एक अभी भी पुलिस जांच के चरण में था जबकि दूसरा अदालत के समक्ष मुकदमा था।चापड़ा में अपहरण मामले के संबंध में, उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरीके से और किसी भी एजेंसी द्वारा जांच को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जैसा कि अदालत द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।चापड़ा में मुकदमे के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार पी. पी. को बदलने और उनके स्थान पर मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष पी. पी. नियुक्त करने के लिए तैयार है।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम दृष्टया लालमुनि देवी द्वारा निचली अदालत के समक्ष 03.11.2006 पर दिया गया बयान स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं था और इसलिए, उनसे फिर से पूछताछ की जानी चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि मामले को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करके पीठासीन न्यायाधीश को बदलने की आवश्यकता है।..."

30. यहाँ एक उपयुक्त लैटिन मैक्सिम जिसका अर्थ है वह जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है,

स्वयं कार्य करता है, उद्धृत किया जा सकता है "क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से"।

31. जहां तक अपहरण की घटना के संबंध में जांच का संबंध है, डिवीजन बेंच ने हालांकि देखा कि यह उस समय निंदनीय था, लेकिन चूंकि यह अभी भी जांच के चरण में था, महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि यह निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से और शीघ्रता से किया जाएगा।यह भी निर्देश जारी किए गए कि फैसले की प्रति के साथ डॉ. गौतम की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव, बिहार को भेजी जाए ताकि बिना समय गंवाए इस मामले में उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।फैसले के अंतिम भाग में भागलपुर में लंबित हत्या के मुकदमे के संबंध में खंड पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश शामिल हैं।डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों को सकारात्मक और पूरी तरह से स्वीकार्य पाया।मुकदमे को भागलपुर से बाहर स्थानांतरित करने के अलावा, अदालत ने कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए।उक्त निर्देशों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"...ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, 1995 के मसरख (पानापुर) पुलिस थाना मामले No.62 से उत्पन्न 2003 के सत्र परीक्षण No.19 के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देना आवश्यक हो जाता है।आई. सत्र विचारण सं.19 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के समक्ष लंबित वर्ष 2003 को पटना स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।मामले के अभिलेखों को तुरंत पटना के सत्र न्यायाधीश को प्रेषित किया जाना चाहिए, जो या तो मामले को अपनी अदालत में रखें या इसे किसी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या फास्ट ट्रैक अदालत को सौंपें, जो औचित्य के आधार पर मुकदमा चलाए ताकि बिना किसी अनुचित देरी के और अधिमानतः अभिलेखों की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर इसे समाप्त किया जा सके।

ii.वक्तव्य सरकार को मुकदमे के संचालन के लिए एक विशेष पी. पी. नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।सरकार अतीत में जिस तरह से मुकदमे को विफल करने की कोशिश की गई थी, उसे ध्यान में रखेगी और प्रतिष्ठित सत्यनिष्ठा के अनुभवी वकील को पी. पी. के रूप में नियुक्त करेगी।

iii.आई. डी. 1 पर ली गई लालमुनि देवी की गवाही रद्द कर दी जाएगी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत पटना में निचली अदालत के समक्ष उनसे नए सिरे से पूछताछ की जाएगी।iv. भागलपुर अदालत द्वारा अभियोजन मामले को बंद करने के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और मुकदमा लालमुनि प्रतिवादी VII की जांच के चरण से आगे बढ़ेगा जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।

v. यह विशेष पी. पी. के लिए पहले से जांचे गए गवाह (प्रतिष्ठान) को वापस बुलाने के लिए आवेदन करने के लिए खुला होगा। यदि ऐसी याचिका का नेतृत्व किया जाता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा।

vi)माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. के. प्रसाद की रिपोर्ट को विचार और उपयुक्त कार्रवाई के लिए न्यायालय की स्थायी समिति के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

vii.बिहार राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि वह 7 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भागलपुर के समक्ष 2003 के सत्र परीक्षण का संचालन करने वाले पी. पी. और बचाव पक्ष के वकील की भूमिका की जांच करे और मामले में उचित कार्रवाई करे।

इस रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ किया जाता है।"

32. उपरोक्त कार्यवाहियां उन कार्यवाहियों को पूरा करती हैं जो हैबियस कॉर्पस याचिका में की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 13.03.2007 का निर्णय दिया था।

33. डिवीजन बेंच के निर्देशों के अनुसार, मुकदमा भागलपुर से पटना स्थानांतरित कर दिया गया था।सत्र न्यायालय, पटना में कार्यवाही समान रूप से निराशाजनक थी और राज्य सरकार, इस प्रकार नियुक्त लोक अभियोजक और ट्रायल जज सहित जांच एजेंसी का आचरण अपरिवर्तित रहा।यद्यपि निर्णय के पूर्व भाग में, डिवीजन बेंच के दिनांकित निर्णय के बाद, निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही को शामिल किया गया है, लेकिन निरंतरता बनाए रखने के लिए पुनरावृत्ति की कीमत पर इसे यहां फिर से प्रस्तुत किया गया हैः

34. जारी किए गए निर्देश के अनुसार, दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से, मुकदमा फिर से सबसे घटिया तरीके से आगे बढ़ा और उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया।राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के समक्ष गवाहों से पूछताछ कराने के बजाय, उनकी ओर से अपने पहले के बयानों को दोहराते हुए हलफनामा दायर किया।केवल 2 गवाहों पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-10 से फिर से पूछताछ की गई।पीडब्लू-2, पीडब्लू-4 से पीडब्लू-7 के संबंध में, अधिकारियों को यह कहते हुए निर्देशित किया गया कि उनके पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है और उन्होंने पहले दिए गए अपने बयान को दोहराया।श्रीमती लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) की फिर से 29.09.2008 पर जांच की गई।अभियोजन साक्ष्य 29.09.2008 पर बंद कर दिया गया था।निचली अदालत ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से दोनों सत्र मुकदमों में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। 2007 का 469 और 2007 का 470।

35. एफ. आई. आर. के चरण से लेकर सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी के दूसरे बयान तक, जो 29.09.2008 पर दर्ज किया गया था, मुकदमे के दौरान की गई जांच, कार्यवाही और साक्ष्य का उल्लेख करना उचित होगा।25.03.1995 पर सुबह लगभग 09.00 पर हुई घटना के बाद, तीनों घायलों को राज्य अस्पताल शिविर, पानापुर ले जाया गया।फरद बयान को घायल (बाद में मृत) राजेंद्र राय द्वारा दिए गए मौखिक बयान पर दर्ज किया गया था जैसा कि उप-निरीक्षक एन. एन. ठाकुर द्वारा सुबह 10.30 पर दर्ज किया गया था। उक्त फरद बयान पर घायल राजेंद्र राय, दो गवाह नरेंद्र सिंह, संजीव कुमार सिंह और पानापुर पुलिस

स्टेशन, कैंप पानापुर के प्रभारी ने हस्ताक्षर किए थे।फरद बयान पर उप-निरीक्षक एन. एन. ठाकुर का भी समर्थन है जो इसे पुलिस थाना प्रभारी 423 को भेज रहे हैं।

रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मसरख। फरद बयान की सामग्री इस फैसले के पहले भाग में पहले ही पुनः प्रस्तुत की जा चुकी है।

36. इसके आधार पर, पी. एस. पानापुर में 26.03.1995 पर 1995 का मामला संख्या 62 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।एफ. आई. आर. में विभिन्न प्राधिकरणों और न्यायालयों द्वारा इसके अवलोकन का समर्थन किया गया है।यह इस बात का भी समर्थन करता है कि आई. पी. सी. की धारा 303 को 30.03.1995 पर जोड़ा गया था।जाँच के दौरान लालमुनि देवी का फरद बयान 21.08.1995 पर भी रिकॉर्ड में उपलब्ध है।

37. बैद्यनाथ तिवारी और घायल लोगों में से एक श्रीमती का बयान। सी. आर. पी. सी. की धारा 164 के तहत दर्ज देवी भी अभिलेख पर उपलब्ध है।बैद्यनाथ तिवारी ने कहा कि फाई रिंग की घटना लगभग 09.00 AM पर हुई थी। वे गोगल सिंह हाई स्कूल नयागांव, छापरा में संस्कृत के शिक्षक थे और संबंधित तिथि पर मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी थे।लगभग आई. डी. 1 बजे, उन्होंने देखा कि चार-फाई और असामाजिक तत्वों ने फिर से हथियारों से लैस होकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उस समूह में, एक छोटा ऊँचा व्यक्ति था जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था।उन्होंने आगे कहा कि मतदान केंद्र पर सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति की गई और गश्ती दल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जिससे भगदड़ मच गई।कुछ दूरी पर, उन्होंने देखा कि कुछ लोग नीचे गिर गए हैं जिनमें से एक महिला थी।उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि घायलों को असामाजिक तत्वों के हमले से चोट लगी है या सीआरपीएफ के जवानों को।हालाँकि उनका कहना है कि प्रभुनाथ सिंह उन लोगों में से नहीं थे जो दोषी थे।उनका यह भी कहना है कि वे प्रभुनाथ सिंह को पहले से जानते थे।यह बयान 23.05.1996 पर दर्ज किया गया था यानी घटना की तारीख से एक साल से अधिक समय के बाद।

38. श्रीमती. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत देवी का बयान 17.05.1996 पर दर्ज किया गया था।उसने यह भी कहा था कि जब वह अपना वोट डालने के बाद घर लौट रही थी, तो जिस स्कूल में मतदान हो रहा था, उससे थोड़ा आगे राहेर (पल्स की तरह) के चार-फाई वाले लोग बाहर आए, वे हथियारबंद थे।उनमें से कुछ ने अपने चेहरे कपड़े के टुकड़े से ढक लिए थे और उन्होंने अंगूठी पहननी शुरू कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें राजेंद्र राय, कदम राय और दारोगा राय के साथ चोटें आईं।दारोगा राय की मौके पर ही मौत हो गई थी और राजेंद्र राय बेहोश हो गए थे।उस समय प्रभुनाथ सिंह वहाँ नहीं थे।उन्होंने आगे कहा कि वह प्रभुनाथ सिंह को तब से जानती हैं जब से वे विधान सभा के सदस्य बने।

39. 29.08.1995 दिनांकित आरोप पत्र भी रिकॉर्ड में है और सी. जे. एम. दिनांकित 30.08.1995 का समर्थन करता है। दारोगा राय, श्रीमती की चोट की रिपोर्ट। देवी और श्री राजेंद्र राय भी अभिलेख में हैं।राजेंद्र राय और दारोगा राय दोनों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड में है।

40. निचली अदालत ने आरोपी कृष्ण नंदन सिंह, शत्रुघ्न सिंह, संतोष सिंह, शीतल सिंह, सत्येंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 147,148 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप तय किए थे। उसी दिन अलग से, उसी निचली अदालत द्वारा प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 272 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप तय किया गया था। 27.07.2006 पर, सात गवाहों का बयान निम्नानुसार दर्ज किया गया थाः

पीडब्लू-1-परमा राय;]

पीडब्लू-2-हरिनाथ राय;

पीडब्लू-3-केदामा राम;

पीडब्लू-4-हरिंदर राय;

पीडब्लू-5-दीनानाथ भगत;

पीडब्लू-6-श्रीमती. देवी;

पीडब्लू-7-तारकेश्वर राय।

41. इन गवाहों यानी पीडब्लू-1 से पीडब्लू-7 का आरोप पत्र में गवाह के रूप में उल्लेख किया गया है।यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उनके बयान लगभग समान हैं।शुरुआती बात यह है कि वे अपनी मर्जी से यह सबूत दे रहे थे; कि वे किसी भी जबरदस्ती या धमकी के तहत गवाही देने नहीं आए थे; कि किसी ने उनका अपहरण नहीं किया है और उन्हें सबूत देने के लिए नहीं लाया है।इन सभी सात गवाहों द्वारा बयान का बहुत ही असामान्य उद्घाटन।

42. उन्होंने आगे कहा कि 25.03.1995 पर जो घटना की तारीख है, लगभग 09-09:30 सुबह, वे अपना वोट डालने के बाद लौट रहे थे जब उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी; कि उन्होंने नहीं देखा कि कौन गोलियों को लाल करता है; दारोगा राय, राजेंद्र राय और श्रीमती। देवी को हाथ में चोट लगी थी; कि वे वोट डालने के बाद घायलों के साथ लौट रहे थे; कि पुलिस ने उनके बयान दर्ज नहीं किए।

43. अभियोजन पक्ष ने इन सात गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित करने का अनुरोध किया और उनसे जिरह करने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा समान है।हालाँकि, जहाँ तक पीडब्लू-3 कदम राम का संबंध है, उन्हें न तो शत्रु घोषित करने की कोशिश की गई और न ही उनसे जिरह की गई। सभी छह गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुए घटना के बारे में पुलिस को बताने से इनकार किया।

44. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि पीडब्लू-1 की उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 13.03.2007 पर जारी निर्देशों के अनुसार 24.09.2008 पर फिर से जांच की गई थी।इस बार, उन्होंने फिर से इसी तरह का बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से गवाही देने आए थे और वह किसी जबरदस्ती के तहत बयान नहीं दे रहे थे।अभियोजन पक्ष फिर से आरोपी की मदद करने की कोशिश कर रहा था और पहले बची कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस बार पीडब्लू-1 ने उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया था जिनके साथ वह था और जानबूझकर सीडब्ल्यू-1 का नाम नहीं लिया था।उन्होंने आगे कहा कि राहेर के क्षेत्र से अचानक एक फाई रिंग शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजेंद्र राय, श्रीमती. देवी और दारोगा राय को चोटें आईं।उन्होंने आगे कहा कि राहेर के तीर घने थे और उनकी ऊंचाई एक फीट अधिक थी और इसके परिणामस्वरूप वे उन व्यक्तियों को नहीं देख सकते थे जो तीर वाले थे।उन्होंने आगे कहा कि वह घायलों को पानापुर के अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उन्हें छापरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया था।वह आगे कहता है कि पुलिस ने उससे आगे कोई पूछताछ नहीं की। उन्होंने आगे इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था कि यह बी. पी. पी. के प्रभुनाथ सिंह थे जो कार में आए थे।इस स्तर पर, विशेष लोक अभियोजक के अनुरोध पर, उन्हें जिरह करने की स्वतंत्रता के साथ शत्रुतापूर्ण घोषित करने की मांग की गई थी।जिरह में, वह जाँच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान से इनकार करता है।शेष कथन विभिन्न चरणों में घायलों को प्रदान किए गए उपचार के संबंध में है।उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि पहले उन्होंने कहा था कि सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की थी।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि आरोपी के दबाव में वह सही तथ्यों को छिपा रहे हैं।बचाव पक्ष द्वारा जिरह के दौरान, आरोपी को बचाने के लिए जो कुछ भी पहले नहीं कहा गया था, वह बयान के इस दौर में कहा गया था।उन्होंने कहा कि चोट लगने के बाद वे तीनों बेहोश हो गए थे और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस निरीक्षक ने अस्पताल में उनका बयान दर्ज नहीं किया क्योंकि वह पूरे समय घायलों के साथ थे।वह आगे बताते हैं कि लालमुनि देवी उनके साथ नहीं थीं जब वे अपना वोट डालने के बाद लौट रहे थे जब यह घटना हुई।वह यह भी बताते हैं कि लालमुनी देवी वहाँ भी नहीं थीं।

उपचार के दौरान।हालाँकि, वह स्वीकार करते हैं कि उनके नेता लालू यादव थे और वे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे।

45. बाकी गवाह उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अपना बयान देने के लिए आगे नहीं आए।हालाँकि, उन्होंने अपने सहयोगियों का नेतृत्व करते हुए कहा कि उनके पास जोड़ने के लिए और कुछ नहीं है और वे केवल अपने पहले के बयानों को दोहराएंगे।

46. पीडब्लू-8 और पीडब्लू-9 सुरक्षाकर्मी थे जो मतदान केंद्र पर ड्यूटी पर थे।उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने फाई रिंग की आवाज़ सुनी।उन्हें नहीं पता था कि कौन घायल हुआ था और कौन घायल हुआ था।

47. पीडब्लू-10 डॉ. सुधीर कुमार हैं, जिन्होंने तीन घायलों की चोटों की जांच की थी और चोट की रिपोर्ट को साबित किया था जिसे एक्स. 2 (श्रीमती. देवी), Ex.2/1 (दारोगा राय) और Ex.2/2 (राजेंद्र राय)।जिरह में, उन्होंने कहा कि सभी घायल संवेदनशील स्थिति में थे और बुरी तरह से घायल थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें बेहतर इलाज के लिए चापड़ा अस्पताल भेज दिया।उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पुलिस वाला उनके अस्पताल नहीं आया और तीन घायल व्यक्तियों में से किसी का भी बयान दर्ज नहीं किया।पुनः, लोक अभियोजक के अनुरोध पर 24.09.2008 पर उनसे फिर से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बार-बार यह कहते हुए बचाव पक्ष के मामले को और मजबूत किया कि तीनों घायल बेहोश थे (कम से कम तीन बार)।48. पीडब्लू-11 डॉ. अशोक कुमार गडा हैं, जिन्होंने दारोगा राय के शरीर का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साबित किया कि यह उनके हस्ताक्षर के तहत था जिसे एक्स. 3 के रूप में चिह्नित किया गया था।

49. सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी ने अपने मूल बयान दिनांक 03.11.2006 में कहा था कि वह खुद गवाही देने आई थी; कोई भी उसे नहीं लाया है; कि उसे मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था; कि पुलिस ने पटना मेडिकल कॉलेज में उसका बयान दर्ज नहीं किया था; कि उसने किसी भी दस्तावेज़ पर अपने अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर नहीं किए थे।

50. उच्च न्यायालय के दिनांक 13.03.2007 के फैसले के बाद निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही को संक्षिप्त रूप से संदर्भित करना भी सार्थक होगा।क) पटना में विचारण न्यायालय के समक्ष वास्तविक कार्यवाही 13.06.2008 को शुरू हुई। उक्त तिथि पर, छह अभियुक्तों के अनुरोध पर उन्हें अपनी पिछली जमानत पर रहने की अनुमति दी गई थी।इसके बाद पांच-छह तिथियां निर्धारित की गईं जिन पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ।

ख) आई. डी. 1 पर, विशेष लोक अभियोजक ने सी. आर. पी. सी. की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी, पी. डब्ल्यू.-1 परमा राय और पी. डब्ल्यू.-10 डॉ. सुधीर कुमार के साक्ष्य की जांच करना चाहता है, जिनसे पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष पूछताछ की जा चुकी थी।मामले को 10.09.2008 पर रखने का आदेश दिया गया था।निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया और गवाहों परमा राय (पीडब्लू-1) और डॉ. सुधीर कुमार (पीडब्लू-10) को वापस बुलाने का आदेश दिया।इसने आगे पुलिस अधीक्षक, छापरा को मुख्य गवाह लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) और उनके साक्ष्य के लिए आई. डी. 1 प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।24.09.2008 पर, आदेश पत्र में दर्ज किया गया है कि दोनों गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-10 से जिरह की गई और उन्हें बरी कर दिया गया।इस कथन में अभियोजन पक्ष ने उन्हें पेश करके अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करने के बजाय बचाव पक्ष के मामले को और मजबूत किया।इसके अलावा लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) को उक्त तिथि पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।अगली तारीख को उनके निर्माण के लिए आगे के निर्देश जारी किए गए, जिसे 29.09.2008 के लिए निर्धारित किया गया था।पीडब्लू-2, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 की पुनः जांच के लिए विशेष लोक अभियोजक के नेतृत्व में एक अन्य आवेदन को अनुमति दी गई थी।

ग) आई. डी. 1 पर विशेष लोक अभियोजक ने पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-4, पी. डब्ल्यू.-5, पी. डब्ल्यू.-6 और पी. डब्ल्यू.-7 का नेतृत्व किया।आगे उक्त तिथि पर, सी. डब्ल्यू.-1 श्रीमती. लालमुनी देवी की जाँच की गई, जिरह की गई और छुट्टी दे दी गई।सी. डब्ल्यू.-1 के निक्षेपण की सामग्री को संक्षेप में यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।अपने मुख्य परीक्षण में, अपीलार्थी द्वारा प्रदान की गई अनुवादित प्रति के अनुसार, जिसे हमने मूल अभिलेख से सत्यापित किया है, उसने कहा किः

"मैं अदालत में बिना किसी जबरदस्ती के स्वेच्छा से गवाही दे रहा हूं।मैंने 21.08.1995 पर पीरबहोर पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक के सामने अपना बयान दिया था।पुलिस के ए. एस. आई. ने मेरा बयान दर्ज किया था।मैंने अपना बयान देने के बाद उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया।मैंने पुलिस के ए. एस. आई. के सामने कहा था कि मेरे देवर (पति के छोटे भाई) केदाम राय दिन में लगभग 1 बजे मेरे बेटे के साथ गाँव धनुकी के माध्यमिक विद्यालय में अपना वोट डालने गए थे।हम फिर लौट रहे थे।

हम अपना वोट डालते हैं।मोटर वाहन सतजोरा गाँव से वहाँ आते थे।प्रभुनाथ सिंह ने पूछा कि वोट जाति पर कैसे कब्जा कर रहे हैं।मैंने जवाब दिया कि लोग "चक्र" (पहिया) पर अपना वोट डाल रहे थे।मोटर वाहन ने राहर (एक प्रकार की नाड़ी) में प्रवेश किया।इसके बाद प्रभुनाथ सिंह को उनके वाहन से गोली मार दी गई।राजेंद्र राय, दारोगा राय और श्रीमती देवी नाम के तीन लोगों को गोली लगी है, हालांकि श्रीमती देवी के हाथ में गोली लगी है।मैं अपने बेटे के शव को बूथ से पानपुर पी. एस. ले गया था और शव को पुलिस स्टेशन से पटना भेज दिया गया था।मेरे बेटे का पटना में इलाज किया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया।उनका पोस्टमॉर्टम कराया गया।मेरे बेटे की मौत के बाद पुलिस ने मेरा बयान दर्ज किया।अब मुझे अदालत के समक्ष अपना बयान नहीं देना है।मैंने भागलपुर में न्यायाधीश के सामने अपना बयान दिया था।घटना के छह महीने बाद मेरे बेटे की मृत्यु हो गई।"

अपनी जिरह में, उन्हें कई सुझावों के अधीन किया गया, जिन पर उन्होंने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया।बचाव पक्ष उनके मुख्य परीक्षण में कोई बड़ी विसंगतियां उजागर नहीं कर सका।जिरह इस प्रकार हैः"मैं भागलपुर में सबूत पेश करने के बाद पुलिस के साथ अपने घर वापस चला गया।मैं अपने घर वापस आने के तीन दिन बाद भी पानापुर पुलिस के एस. आई. पी. एस. के साथ मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया था।मेरे देवर केदामा राय राजेंद्र राय के साथ अस्पताल आए थे। परमा राय मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। जिस समय मैं अस्पताल में पुलिस को अपना बयान दे रहा था, उस समय मेरे साथ कोई नहीं था।जिस समय मैं अपना बयान दे रहा था, उस समय केदाम राय मेरे साथ मौजूद थे।जिस दिन मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, उसी दिन मैंने अपना बयान दिया था।मैंने पुलिस के एस. आई. के सामने घटना से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा किया।पुलिस के एस. आई. ने मुझे दिए गए मेरे बयान की सामग्री पढ़ी थी।सामग्री को सही समझने के बाद मैंने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया।अस्पताल में दिए गए बयान के अलावा।

पुलिस के एस. आई. ने जांच के दौरान न तो मुझसे कुछ पूछा और न ही मेरा बयान फिर से दर्ज किया।मैंने अदालत में पुलिस के खिलाफ कोई याचिका नहीं दी थी कि पुलिस ने मेरा बयान सही तरीके से दर्ज नहीं किया।यह तथ्य नहीं है कि मैंने पुलिस के सामने ऐसा बयान नहीं दिया था कि हम अपना वोट डालने के बाद लौट रहे थे और जो गांव सतजोरा की तरफ से आया था और प्रभुनाथ सिंह ने पूछा था कि मतदान कैसे हो रहा है और मैंने जवाब दिया था कि मैंने "चक्र" चिह्न के पक्ष में अपना वोट डाला था।वाहन राहर (एक तरह की नाड़ी) फाईएल्ड में चला गया और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह फाई रेड शॉट ने तीन लोगों को टक्कर मार दी।गोली राजेंद्र राय, दारोगा राय और श्रीमती देवी की बाहों में लगी।मैं अपने बेटे के शव को बूथ से पानापुर पी. एस. ले गया और शव को पुलिस स्टेशन से पटना भेज दिया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

हरेंद्र राय मेरा बेटा है।हरेंद्र राय ने खुद मुझसे कहा था कि मुझे निशानेबाजों में प्रभुनाथ सिंह का नाम लेना है।यह तथ्य नहीं है कि मैंने अदालत में गलत तरीके से गवाही दी है।"

घ) उसी तारीख को अर्थात् 29.09.2008, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया और धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत अभियुक्त की जाँच के लिए 15.10.2008 दर्ज किया। 15.10.2008 पर आरोपी की जाँच धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत दर्ज की गई।बचाव पक्ष ने 2006 के पानापुर पी. एस. केस नंबर 81 में अपहरण मामले के संबंध में श्री संपत कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, छापरा द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज लालमुनि देवी के बयान की एक प्रमाणित प्रतियों का भी नेतृत्व किया।

ङ) इसके अलावा सूचना देने वाले की ओर से अधिवक्ता निजी वकील श्री रंजन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मामले के जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई है, हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए स्वतंत्रता दी गई थी

मामले में कोई अतिरिक्त सबूत लेना।विचारण न्यायालय ने जाँच अधिकारी को तलब करना आवश्यक नहीं समझा।ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के साक्ष्य को और तर्क के लिए 17.10.2008 को बंद कर दिया।

च) 17.10.2008 पर, सूचना देने वाले के निजी वकील के नेतृत्व में एक अन्य याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को जांच अधिकारी, डॉक्टर, पीडब्लू-3 कदम राय और जब्ती सूची के गवाहों के साक्ष्य के लिए उचित कदम उठाए बिना बंद कर दिया गया था और प्रार्थना की गई थी कि उन्हें अदालत के गवाहों के रूप में अपने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाए।इस याचिका को निचली अदालत ने इस आधार पर भी खारिज कर दिया था कि निजी वकील को ऐसी याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होने में पूरी तरह से विफल रहा जैसा कि रिकॉर्ड पर सामग्री से स्पष्ट था।

छ) निचली अदालत ने एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया, जो एक किशोरी राय की ओर से अपना बयान दर्ज करने के लिए इस आधार पर दायर की गई थी कि वह एक अजनबी था।हालांकि किशोरी राय ने मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने अदालत में विश्वास खो दिया था, लेकिन मामले को आगे की दलीलों के लिए 18.10.2008 पर रखा गया था।

ज) उक्त तिथि पर, नरेंद्र सिंह और किशोरी राय के नेतृत्व में उनके निजी वकील के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत नरेंद्र सिंह, किशोरी राय और संजीव कुमार सिंह के बयान दर्ज करने के लिए फिर से एक आवेदन दायर किया गया था, जिनमें से दो फरद बयान के गवाह थे, और किशोरी राय ने उस स्थान पर पाए गए कारतुस पेश किए थे, जिसकी जब्ती सूची जानकी राय और चबीली राय की उपस्थिति में तैयार की गई थी। इस आवेदन को 18.10.2008 पर भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसे अजनबियों द्वारा पेश किया गया था, जो आरोप पत्र में गवाह नहीं थे और आवेदन विशेष लोक अभियोजक के नेतृत्व में नहीं था।उसी तारीख को, दलीलें सुनी गईं और 20.10.2008 को पक्षों के लिए अपने लिखित तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया।इसके बाद निचली अदालत ने 24.10.2008 पर फैसला सुनाया।

51. बरी किए जाने की तारीख 24.10.2008 के फैसले के संबंध में, जब्ती सूची के गवाहों द्वारा एक शिकायत याचिका दायर की गई थी, जिसे तत्कालीन निरीक्षण न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा द्वारा स्वीकार किया गया था, जैसा कि वे उस समय थे।निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा पूरे सत्र विचारण न्यायालय के अभिलेखों को मंगाया गया और उनकी विधिवत जांच और अध्ययन किया गया।निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने कदम दर कदम जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण दोनों तरह की स्पष्ट अवहेलनाओं को देखा।निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने न केवल जांच एजेंसी की ओर से जानबूझकर की गई गड़बड़ी को देखा, बल्कि लोक अभियोजक और विचारण न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश ने भी न्याय करने के अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। निरीक्षण न्यायाधीश ने अभिलिखित किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए मुकदमे से केवल दो संभावित निष्कर्ष निकलते हैं, या तो निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित होता है या अधिकारी में पूरी तरह से न्यायिक कौशल का अभाव होता है।इसके बाद वे यह दर्ज करते हैं कि उन्होंने आधिकारिक न्यायालय के सात यादृच्छिक सत्र परीक्षण निर्णयों की जांच की और उनका विचार था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उस कानून को नहीं जानते हैं जिसका अर्थ है कि परीक्षण न्यायाधीश का आचरण बाहरी विचार के लिए था।निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.05.2009 के माध्यम से कार्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की।उक्त रिपोर्ट दिनांकित 04.05.2009 पुनः प्रस्तुत किए जाने के योग्य है और ऐसा किया जाता है:"माननीय मुख्य न्यायाधीश,

री:श्री मान मोहन चौधरी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ. टी. सी. III, पटना द्वारा 1995 के पानापुर पी. एस. केस No.62 से उत्पन्न 2007 के सत्र परीक्षण No.469-470 में दंड संहिता की धारा 147,148,149,302,307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्णय और आदेश।

सेशन ट्रायल में आम तौर पर आरोपी होते हैं, जिन पर मुकदमा चलता है।कभी-कभी, अभियुक्त के अलावा, एक संस्था के रूप में न्यायपालिका पर भी मुकदमा चलाया जाता है और इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है।वर्तमान निश्चित रूप से ऐसा ही एक मामला है।

जब्ती सूची गवाह द्वारा एक शिकायत याचिका पर, पटना न्यायाधीश के रूप में, पूरे सत्र परीक्षण रिकॉर्ड की मांग की गई थी।मैंने अभिलेखों का अध्ययन किया है।

घटना के तुरंत बाद मुखबिर राजेंद्र राय की मृत्यु हो गई।एक अन्य घायल दारोगा राय की भी बाद में मृत्यु हो गई।तीन अन्य लोग घायल हो गए।एफ. एल.आर. एक मरने वाली घोषणा की प्रकृति में है।एक व्यक्ति को विशेष रूप से आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिसमें

मृतक पर फाई लाल।तीन व्यक्तियों को एफ. एल. के रूप में नामित किया गया था।आर. गवाहों और दो अन्य व्यक्तियों ने सामग्री के गवाह के रूप में एफ. आई. आर. पर हस्ताक्षर किए।स्वतंत्र गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित घटनास्थल से जब्त किए गए खाली छर्रों के संबंध में एक जब्ती सूची तैयार की गई थी।

नामित अभियुक्त, एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व, ने छापरा में मुकदमे में हस्तक्षेप करने की मांग की।निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले को हजारीबाग स्थानांतरित कर दिया गया।बिहार राज्य के पुनर्गठन पर, मुकदमे को भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया।

भागलपुर में अदालत कक्ष में गवाहों को डराया-धमकाया गया और उन्हें अनियंत्रित बनाया गया।गवाही देने से रोकने के लिए गवाहों का अपहरण कर लिया गया था।पीठासीन अधिकारी मूक गवाह बना रहा और उसने इस न्यायालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने अचानक दौरा किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।2006 (2007 (2) पी. एल. जे. आर. 244) के Cr.WJC <आई. डी. 1 का नेतृत्व हरेंद्र राय ने किया था, जो अभियोजन गवाह और मृतक के भाई थे, जिन्होंने गवाही देने से रोकने के लिए अपनी मां का अपहरण किया था।डिवीजन बेंच ने देखा कि कैसे कानून की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा था और परीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्ट सहित मुकदमे में हस्तक्षेप किया जा रहा था।निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को पटना स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था।

डिवीजन बेंच ने (2004) 4 एस. सी. सी. 158 (ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापक रूप से उद्धृत किया।इसने पीठासीन अधिकारी को सावधान रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया कि हर तरह से न्याय किया जाए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष के गवाहों को वापस बुलाने की छूट दी गई थी।

पीठासीन अधिकारी ने दिनांकित 08.09.2008 विशेष आदेश पत्र में कहा है कि उन्होंने खंड पीठ के आदेश को देखा है और फिर गवाहों को वापस बुलाने के संबंध में निर्देशों का हवाला दिया है, लेकिन ज़हिरा शेख के मामले के अवलोकन का कोई संदर्भ नहीं दिया है।वह सीआर का भी उल्लेख करता है। विविध।2006 की No.44589 किशोरी राय द्वारा पसंद की गई, जो धारा 311 सी. आर. पी. सी. के तहत अपनी जांच के लिए एक जब्ती सूची गवाह है। मृत्यु घोषणा के रूप में एफ. आई. आर. को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित नहीं किया गया था।पीठासीन अधिकारी स्वयं कहता है कि यह एक मृत्यु घोषणा की प्रकृति है।नरेंद्र सिंह और संजीव कुमार सिंह (एफ. आई. आर. के गवाह) के साथ गवाह के रूप में उनसे पूछताछ करने के लिए जब्ती सूची के गवाह किशोरी राय के नेतृत्व में दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया।

यह कहते हुए कि उनके परीक्षण के लिए लोक अभियोजक के नेतृत्व में ऐसा कोई आवेदन नहीं था।बाद वाले दोनों का कोई भी बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनका नहीं था और न ही उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। किशोरी राय के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि मूल जब्ती सूची रिकॉर्ड में नहीं थी।किशोरी राय आरोप पत्र की गवाह या सूचना देने वाली नहीं थी, बल्कि एक अजनबी थी और सूचना देने वाले, जो मर चुका था, की ओर से उसके किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पी. पी. चुप रहे।पीठासीन अधिकारी ने ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख के मामले में टिप्पणियों से डिवीजन बेंच के निर्देशों की अनदेखी करना पसंद किया।

डिवीजन बेंच के आदेश के बाद, लोक अभियोजक ने कुछ गवाहों को वापस बुलाने के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया, जिसमें एफ़. आई. आर. के गवाह (सत्यापित करने वाले गवाह नहीं) शामिल थे।लोक अभियोजक ने तब स्वयं अपने हलफनामों का नेतृत्व किया कि वे भागलपुर में उनके द्वारा अपदस्थ किए गए बयान से परे गवाही नहीं देना चाहते थे।इसके बाद लोक अभियोजक ने साक्ष्य को बंद करने का अनुरोध किया।न्यायालय ने एफ़ी डेविट्स की स्वैच्छिक प्रकृति और वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया।

ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख के मामले में निर्धारित इन कर्तव्यों की अनदेखी करते हुए एफ. आई. आर. को प्रदर्शित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना पीठासीन अधिकारी का आचरण चौंकाने वाला है।यह स्वीकार करने के बाद कि यह एक मृत्यु घोषणा के रूप में था, वह इसे अस्वीकार कर देता है क्योंकि यह साबित नहीं हुआ था।जाँच अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए।यह केवल इतना कहा गया था कि डी. जी. पी. को नोटिस देने के बावजूद वह पेश नहीं हुए।यदि आई. ओ. उपस्थिति से बच रहा था, तो सच्चाई की खोज ने उसकी उपस्थिति को पीठासीन अधिकारी के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बना दिया।जब्ती की मूल सूची गायब हो गई।पीठासीन अधिकारी ने रिकॉर्ड से जब्ती सूची क्यों और कैसे गायब हो गई है, इसके पुनर्निर्माण या जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया।लोक अभियोजक के नेतृत्व में एफ़ी डेविट्स फ़ाई को पीठासीन अधिकारी द्वारा एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया गया था।मुकदमे के शीघ्र निपटारे के निर्देश को हड़पने में पीठ की पीठ के पीठ के कर्तव्यों के निर्देशों की पूरी तरह से अनदेखी की गई।पीठासीन अधिकारी ने इस द्वंद्व पर ध्यान नहीं दिया कि लोक अभियोजक ने खुद बदली हुई परिस्थितियों में गवाहों को वापस बुलाने के लिए आवेदन का नेतृत्व किया और फिर उनकी ओर से खुद पक्ष का नेतृत्व किया।जब्ती का आवेदन

गवाह, किशोरी राय को उनकी जाँच के लिए और दो एफ. एल. की जाँच के लिए सूचीबद्ध करें।आर. गवाहों को यह देखने के बाद भी कि लोक अभियोजक आवेदन का समर्थन नहीं कर रहा था, पूरी तरह से तुच्छ आधार पर खारिज कर दिया गया था।क्र. विविध।जब्ती सूची की गवाह किशोरी राय द्वारा 2006 के No.44589 को इस अवलोकन के साथ निपटाया गया था कि लोक अभियोजक को पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता में निर्देशित किया जा चुका है। 2006 का डब्ल्यू. जे. सी. सी. आर. पी. सी. की धारा 311 के तहत उचित कदम उठाने के लिए।

पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य आपराधिक मुकदमे में सच्चाई की खोज करना था।उन्होंने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से त्याग कर दिया और जानबूझकर डिवीजन बेंच द्वारा उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने वाले चेतावनी के आदेश की अनदेखी करने का फैसला किया।

जिस तरह से पीठासीन अधिकारी द्वारा मुकदमा चलाया गया है, उससे केवल दो संभावित निष्कर्ष निकलते हैं।फैसला या तो बाहरी विचारों पर आधारित है या आधिकारिक तौर पर न्यायिक कौशल का पूरी तरह से अभाव है।मैंने ऑफ़िसर के यादृच्छिक सात सत्र परीक्षण निर्णयों का आह्वान किया था।यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कानून नहीं जानता है।

ऐसे मामलों में न्यायपालिका की सार्वजनिक छवि की परीक्षा होती है।ऑफ़िसर ने संस्थान को विफल कर दिया है।

आधिकारिक निकाय के खिलाफ उचित कार्रवाई की वांछनीयता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।"

52. उक्त रिपोर्ट को उच्च न्यायालय की स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था और दिनांक 1 की बैठक में विचार किया गया था जिसमें सिफारिश को स्वीकार करने का संकल्प लिया गया था।बाद में जब उक्त कार्यवृत्त दिनांक (आई. डी. 1) की बैठक में आश्वासन के लिए आया तो कार्यसूची मद संख्या (2) के माध्यम से यह संकल्प लिया गया कि निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को न केवल स्वीकार किया जाए, बल्कि इसे आगे के निर्देश के साथ बढ़ाया जाए कि दिनांक (आई. डी. 2) के निर्णय को सी. आर. पी. सी. के तहत पुनरीक्षण शक्ति के स्वतः संज्ञान पर विचार करने के लिए उचित पीठ के समक्ष न्यायिक पक्ष में सूचीबद्ध किया जाए। स्थायी समिति के उक्त प्रस्ताव को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:"समाधान

7 जुलाई 2009 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही को निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार करने का संकल्प लिया गया है।

आई. एजेंडा-किसी भी अन्य मामले के तहत, माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. एन. सिन्हा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान समिति के सदस्य के रूप में किए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना को दर्ज करने का संकल्प लिया जाता है, जो अभी-अभी समाप्त हो गया है (वी. एन. सिन्हा, जे. एबस्टैनिंग)।

ii.Vol.I के कार्यसूची मद संख्या 5 के संबंध में प्रस्ताव को एक और निर्देश के साथ आगे बढ़ाया जाएगा कि विचाराधीन निर्णय

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण शक्ति के स्वतः संज्ञानात्मक प्रयोग पर विचार करने के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष न्यायिक पक्ष में दिनांक **1** को सूचीबद्ध किया जाए।

iii.अतिरिक्त एजेंडा आइटम संख्या 2 के संबंध में प्रस्ताव को इस हद तक संशोधित किया गया है कि श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी को औरंगाबाद में परिवार न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि जिला और सत्र न्यायाधीश नवादा के रूप में तैनात किया जाएगा और श्री अखिलेश कुमार जैन को नवादा के बजाय जहानाबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात किया जाएगा।"

53. यह स्थायी समिति के निर्णय पर है कि 2009 के आपराधिक संशोधन संख्या 1345 को "बिहार राज्य बनाम प्रभुनाथ सिंह और अन्य" के रूप में कारण शीर्षक के साथ पंजीकृत किया गया था।लर्नड सिंगल जज ने उक्त आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया, दिनांक 02.12.2011 के विवादित फैसले के माध्यम से, वर्तमान अपील को जन्म दिया।

54. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने संशोधन को खारिज करते हुए निम्नलिखित तथ्य दर्ज किए:

क) पुनरीक्षण शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 को देखते हुए अपीलीय शक्ति के समान है।

ख) फरद बयान, जिसे प्राथमिकी दर्ज करने में बदल दिया गया है, किसी भी गवाह द्वारा साबित नहीं किया गया है।उक्त बयान दर्ज करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है।इसके अलावा, इसमें घायल (बाद में मृत) के मानसिक/शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण नहीं है।इसके अलावा, ऐसे किसी भी गवाह को पेश नहीं किया गया है, जो मौजूद था और बयान दिया जा रहा था, उसे गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है।इसलिए, फरद बयान को सबूत के रूप में पढ़ने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ग) पीडब्लू-10, डॉक्टर, जिन्होंने घायल व्यक्तियों की देखभाल की और चोट की रिपोर्ट तैयार की थी, ने कहा था कि तीन घायल बेहोश थे।इसलिए, मृतक राजेंद्र राय (घायल) अपना बयान (फरद बयान/बयान तहरीर) देने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दारोगा राय बहुत गंभीर थे और तदनुसार, प्राथमिक उपचार देने के बाद, सभी घायलों को सदर अस्पताल, छापरा रेफर कर दिया गया।

घ) डॉ. बी. डी. प्रसाद ने राजेंद्र राय का पोस्टमार्टम किया था, लेकिन उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं किया गया था और यह तर्क कि उनकी रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 295 के तहत स्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार्य है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उक्त प्रावधान के दायरे में नहीं आती है।

ई) सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी एक सुनी-सुनाई गवाह नहीं है, जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, लेकिन प्रतिपरीक्षा में उनकी अंतिम दो पंक्तियों को देखते हुए एक प्रशिक्षित गवाह है।(उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यू.-1 को एक प्रशिक्षित गवाह के रूप में मानने में ट्रायल कोर्ट से एक कदम आगे बढ़ कर काम किया।)

च) तथ्य का कोई अन्य अभियोजन गवाह सी. डब्ल्यू.-1 की गवाही की पुष्टि नहीं करता है।इसके बजाय, उनकी गवाही सीडब्ल्यू-1 के खिलाफ है क्योंकि किसी अन्य अभियोजन गवाह ने उसकी उपस्थिति के बारे में नहीं कहा है।

छ) यह देखा गया कि हालांकि आरोप पत्र में सी. डब्ल्यू.-1 का नाम नहीं था, लेकिन पीरबहोर पुलिस स्टेशन ने संभवतः उसका बयान दर्ज किया जब वह प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र (पी. एम. एच. सी.) में अपने घायल बेटे की देखभाल कर रही थी, जो यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि उसका बयान जांच के दौरान दर्ज किया गया था।

ज) ज़हिरा शेख का निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि यह सांप्रदायिक घृणा और वैमनस्य के कारण तबाही से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सामूहिक नरसंहार होते हैं।वर्तमान मामले में कुछ राजनीतिक रंग हो सकता है, लेकिन यह वही या गहरा रंग नहीं हो सकता है जैसा ज़हिरा के मामले में था।

55. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मूल रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

56. अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

क) मामले के मुकदमे के तरीके और अवैधता के संबंध में निरीक्षण न्यायाधीश की दिनांक 1 की रिपोर्ट में जिन मुद्दों को उठाया गया था, उनमें से किसी को भी कानून के अनुसार बहुत कम नहीं माना गया था।ख) मामले की सुनवाई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित Cr.WJC संख्या 717/2006 में दिनांकित 13.07.2007 आदेश के अनुसार नहीं की गई थी।

ग) एक मामले में किए गए न्याय के उपहास को ठीक करने के लिए डी-नोवो परीक्षण के लिए एक मामला बनाया जाता है, जिसमें एक दिन की रोशनी में, दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी, इसके अलावा दूसरे को चोट पहुंचाई गई थी।

घ) गवाहों से ठीक से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की गई।

ई) मामले का विशेष लोक अभियोजक सक्षम व्यक्ति नहीं था क्योंकि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के संदर्भ में दस साल से वकील के रूप में वकालत नहीं कर रहा था।

च) आक्षेपित क्रम में तथ्य विकृत और त्रुटिपूर्ण हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की ठीक से सराहना नहीं की जाती है।

छ) सी. डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य को न तो निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार सराहा गया है।सी. डब्ल्यू.-1 के एकमात्र साक्ष्य पर अभियुक्त की दोषसिद्धि दर्ज की जानी चाहिए।

ज) इस मामले में जांच अधिकारी सहित एक भी पुलिस अधिकारी से स्पष्ट द्वेष नहीं दिखाया गया था।

57. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 8 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः

क) कि उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत, वैध और उचित है, जो विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित है।ख) यह बिना किसी सबूत का मामला था क्योंकि सभी गवाह मुकर गए थे।

ग) लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) के साक्ष्य को पढ़ाया गया था और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

घ) एफ. आई. आर. स्वयं साबित नहीं हुई थी।

ई) घायलों की जाँच करने वाले डॉक्टर ने कहा था कि वे बेहोश अवस्था में थे और इसलिए राजेंद्र राय भी घटना का वर्णन करने की स्थिति में नहीं हो सकते थे।

च) न तो जांच अधिकारी और न ही कोई पुलिस अधिकारी, हालांकि औपचारिक प्रकृति का हो सकता है, पेश किया गया था।

छ) उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का दायरा सीमित था और इसलिए इस न्यायालय के समक्ष स्थिति होगी।

ज) अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा कोई विकृति या भौतिक अनियमितता नहीं पाई गई है या कोई तर्क नहीं दिया गया है।

i) वर्तमान अपील, अपने सीमित दायरे के साथ, खारिज होने योग्य है।

58. बिहार राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपीलार्थी का समर्थन किया है।

59. विचारण न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने और चर्चा करने से पहले, विचारण के संचालन के तरीके से संबंधित प्रासंगिक तथ्य, अभियोजन पक्ष के गवाह का नेतृत्व करने में लोक अभियोजक की ओर से जानबूझकर चूक, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं करने में विचारण न्यायालय की ओर से चूक, निरीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्टों में उल्लिखित तथ्यों और खंड पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों का भी उल्लेख करने की आवश्यकता है।

मुकदमे का संचालन करने वाले अभियोजन पक्ष की ओर से और जांच एजेंसी की ओर से चूकः

60. संक्षेप में खामियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

क) एफ. आई. आर. के लेखक को पेश नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यदि लेखक किसी कारण से उपलब्ध नहीं था तो पुलिस थाने से किसी और को लेखक के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पेश किया जा सकता था।

ख) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जांच अधिकारी फिर से एक स्पष्ट और जानबूझकर चूक है।

ग) बरामदगी/जब्ती सूची तैयार करने, जाँच रिपोर्ट, शव को अस्पताल ले जाने, और जाँच के अन्य औपचारिक पहलुओं को साबित करने के लिए किसी भी प्रभाव की अनुपस्थिति के अन्य अभियोजन गवाहों को पेश न करना स्पष्ट रूप से द्वेष और अभियोजन पक्ष की ओर से जानबूझकर चूक का संकेत देता है।

घ) उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद तथ्य के गवाहों के साक्ष्य में लोक अभियोजक का आचरण और बचाव के मामले को मजबूत करने के लिए 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों की आगे की जांच करना लोक अभियोजक की दागी भूमिका को दर्शाता है।

61. वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

क) क्या सर्वोच्च न्यायालय, बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका में पारित उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले पर विचार कर सकता है, जो प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का हिस्सा नहीं था (हालांकि यह निचली अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा था) और जिस पर निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा नहीं किया गया था, एक सार्वजनिक दस्तावेज की प्रकृति में अपराध साबित करने वाले साक्ष्य के रूप में और यदि हां, तो किस हद तक?

ख) क्या अभिलेख पर स्थापित अभियुक्त के पिछले या बाद के आचरण को साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 को देखते हुए अभियुक्त के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है?

ग) क्या एफ. आई. आर. या बयान तहरीर को अभियोजन पक्ष के विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो प्राथमिकी या बयान तहरीर को मृत्यु घोषणा के रूप में मानने के मुद्दे पर कानून की क्या स्थिति होगी?

(घ) क्या अभियोजन पक्ष की गवाह (एक बूढ़ी कमज़ोर, देहाती, अनपढ़ महिला और मृतक की माँ और घटना की एक चश्मदीद गवाह) की गवाही, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा के अंत में कहा कि "उसके बेटे (एक अन्य जीवित बेटे) ने उसे अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था", को ऐसे अभियुक्त के खिलाफ एक विश्वसनीय सबूत माना जा सकता है, विशेष रूप से मामले के अस्थिर और असामान्य इतिहास को देखते हुए?

मुद्दा **(**ए**):-** एफ**.** आई**.** आर**.** की प्रासंगिकता और स्वीकार्यताः

62. सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करके तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता होती है, और साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।न्यायिक सूचना का सिद्धांत, जैसा कि धारा 56 के तहत प्रदान किया गया है, इस नियम का अपवाद है।

63. साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 में कहा गया है कि "ऐसा कोई भी तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिसका न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा।" साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 यह प्रावधान करते हुए एक कदम आगे बढ़ती है कि न्यायालय के पास धारा में दी गई सूची में उल्लिखित तथ्यों का न्यायिक संज्ञान लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है क्योंकि यह "होगा" शब्द का उपयोग करता है न कि "हो सकता है"।साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है कि यदि पक्ष या उनके एजेंट अदालत की कार्यवाही के दौरान या सुनवाई से पहले लिखित रूप में किसी तथ्य को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं, तो ऐसे तथ्य को तब तक साबित करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अदालत को विश्वास न हो कि इसे साबित करने की आवश्यकता है।उपर्युक्त तीन धाराएँ अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 से 58 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

"56.न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।-- कोई तथ्य नहीं

न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा जिसे साबित करने की आवश्यकता है।

57. किन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक नोटिस लेना चाहिए।-- अदालत ने

निम्नलिखित तथ्यों पर न्यायिक ध्यान देगा:-- [(1) भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून;]

(2) [यूनाइटेड किंगडम की] संसद द्वारा पारित या इसके बाद पारित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक अधिनियम, और [यूनाइटेड किंगडम की] संसद द्वारा निर्देशित सभी स्थानीय और व्यक्तिगत अधिनियमों पर न्यायिक रूप से ध्यान दिया जाए;

(3) [भारतीय] सेना [नौसेना या वायु सेना] के लिए युद्ध के अनुच्छेद (4) यूनाइटेड किंगडम की संसद, भारत की संविधान सभा, संसद और किसी प्रांत या राज्यों में उस समय लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित विधानसभाओं की कार्यवाही की प्रक्रिया;]

(5) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के कुछ समय के लिए संप्रभु का परिग्रहण और हस्ताक्षर पुस्तिका; (6) वे सभी मुहरें जिनके बारे में अंग्रेजी अदालतें न्यायिक नोटिस लेती हैं:[भारत में] सभी न्यायालयों और [भारत में] सभी न्यायालयों की मुहरें

[केंद्र सरकार या क्राउन प्रतिनिधि] के अधिकार द्वारा स्थापित; नौसेना और समुद्री क्षेत्राधिकार के न्यायालयों और नोटरी पब्लिक की मुहरें, और वे सभी मुहरें जिनका उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति [यूनाइटेड किंगडम के संविधान या संसद के अधिनियम या] अधिनियम या विनियमन द्वारा अधिकृत है, जो [भारत] में कानून का बल रखते हैं;

(7) किसी भी राज्य में कुछ समय के लिए किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के नाम, शीर्षक, कार्य और हस्ताक्षर का परिग्रहण, यदि ऐसे कार्यालय में उनकी नियुक्ति का तथ्य [किसी आधिकारिक राजपत्र] में अधिसूचित किया गया है;

(8) 10 [भारत सरकार] द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक राज्य या संप्रभु का अस्तित्व, शीर्षक और राष्ट्रीय ध्वज;

(9) समय के विभाजन, दुनिया के भौगोलिक विभाजन और सार्वजनिक त्योहारों, उपवासों और छुट्टियों की अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

(10) 10 [भारत सरकार] के अधीन क्षेत्र;

(11) [भारत सरकार] और किसी अन्य राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच शत्रुता की शुरुआत, निरंतरता और समाप्ति;

(12) न्यायालय के सदस्यों और अधिकारियों, और उनके प्रतिनियुक्तियों और अधीनस्थ अधिकारियों और सहायकों के नाम, और इसकी प्रक्रिया के निष्पादन में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों के नाम, और सभी अधिवक्ताओं, अधिवक्ताओं, प्रॉक्टरों, वकीलों, वादियों और कानून द्वारा इसके समक्ष उपस्थित होने या कार्य करने के लिए अधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम;

(13) सड़क का नियम [भूमि पर या समुद्र में]।

इन सभी मामलों में और सार्वजनिक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सभी मामलों में भी, न्यायालय अपनी सहायता के लिए उपयुक्त पुस्तकों या संदर्भ दस्तावेजों का सहारा ले सकता है।

यदि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए कहा जाता है, तो वह तब तक ऐसा करने से इनकार कर सकता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश नहीं करता है जिसे वह ऐसा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समझता है।

58. स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।-- कोई तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

किसी भी कार्यवाही में जिसे उसके पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई में स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जो सुनवाई से पहले, वे अपने हाथों में किसी भी लेखन द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, या जो उस समय लागू अभिवचन के किसी भी नियम द्वारा जब उन्हें माना जाता है कि उन्होंने अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार किया है:बशर्ते कि न्यायालय, अपने विवेकाधिकार में, स्वीकार किए गए तथ्यों को ऐसे स्वीकारों के अलावा अन्यथा साबित करने की अपेक्षा कर सकता है।"

64. हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 से संबंधित हैं, जो कुछ तथ्यों को स्वीकार करने के लिए न्यायालय के अधिकार से संबंधित है, जो या तो सामान्य ज्ञान के हैं या ऐसे स्रोतों से हैं जो सटीकता की गारंटी देते हैं या ऐसे तथ्य को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना आधिकारिक आधिकारिक रिकॉर्ड या अदालत के रिकॉर्ड का मामला हैं।किसी भी तथ्य का न्यायिक नोटिस तब लिया जाता है जब तथ्यों पर उचित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता है।

65. इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में संबंधित मामलों में पर्याप्त न्याय करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 का समर्थन लिया है।न्यायिक नोटिस कैसे लिया जाता है, इसकी बेहतर तस्वीर प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

क) केरल राज्य बनाम उन्नी 3 के मामले में, पैराग्राफ 27 में यह है -

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

"27. इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि प्रत्येक गाँव में एक रासायनिक प्रयोगशाला नहीं होगी जहाँ एथिल अल्कोहल के विश्लेषण की प्रक्रिया की जा सके।

बाहर निकलें।" उदाहरण के लिए, यदि किसी गाँव में नमूना लिया जाता है, तो जब तक नमूना भेजा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, तब तक एथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ सकती है।हालाँकि हमें सूचित किया जाता है कि नमूना लेने पर कुछ रसायन मिलाया जाता है, लेकिन उस ओर से कोई सामग्री नहीं रखी गई है।(जोर दिया गया)

ख) प्रभाकर बनाम बासवराज के. 4 के मामले में, यह पैराग्राफ नं. में देखा गया था। 21 इस प्रकार है:

"21. राहत केवल दलीलों के आधार पर ही मिल सकती है।साक्ष्य भी ऐसी दलीलों पर आधारित होना चाहिए।एकमात्र अपवाद तब होगा जब पक्षों को प्रत्येक के बारे में पता हो।

3 (2007) 2 एससीसी 365 4 (2022) 1 एससीसी 115 443

दूसरे का मामला बहुत अच्छा है और इस तरह की अभिवचन में निहित है

एक मुद्दा।इसके अतिरिक्त, एक न्यायालय किसी तथ्य पर न्यायिक ध्यान दे सकता है जब यह रिकॉर्ड के सामने इतना स्पष्ट हो।

(जोर दिया गया)

ग**)** वेद मित्तर गिल बनाम केंद्र शासित प्रदेश**,** चंडीगढ़ **5** के मामले में**,** पैराग्राफ में

26 , यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः“26 ..... फरार विचाराधीन कैदियों के बब्बर खालसा इंटरनेशनल, एक ज्ञात और खूंखार आतंकवादी संगठन के साथ संबंध भी विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए थे, क्योंकि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच करना अव्यवहारिक था।यह आम बात है

और इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेना उचित होगा कि विचाराधीन अवधि के दौरान बड़ी संख्या में आतंकवादियों को इस तथ्य के कारण बरी कर दिया गया कि गवाह डर के कारण उनके खिलाफ गवाही नहीं देते थे**,** या वैकल्पिक रूप से**,** जो गवाह अपनी गवाही दर्ज करने के लिए संबंधित अदालतों के समक्ष पेश हुए**,** वे उसी कारण से मुकर गए।"

(जोर दिया गया)

घ) जोसेफ एम पुथुसेरी बनाम टी. एस. झोन और अन्य 6 के मामले में,

यह न्यायालय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें अपीलार्थी को कल्लूपरा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 106 से केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में इस आधार पर शून्य घोषित किया गया था कि वह अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा 4 के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण का दोषी था। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निर्णयों का मूल्यांकन करते समय, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 65 में साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के दायरे पर विचार किया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः“65. उच्च न्यायालय ने संक्षेप में "अपराध" पत्रिका को एक पीली पत्रिका बताया है।क्या "अपराध"

5 (2015) 8 एससीसी 86 6 (2011) 1 एससीसी 503

पत्रिका एक पीली पत्रिका है जो राय का विषय है न कि तथ्य का।यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि इस प्रकार की राय साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **56** या धारा **57** के प्रयोजनों के लिए न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य है।वहाँ

आक्षेपित निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता है कि कोई सबूत दिया गया था, इस बारे में बहुत कम विचार किया गया कि क्या "अपराध" पत्रिका एक पीली पत्रिका है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा पत्रिका पर यह विश्वास बनाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि पत्रिका की सामग्री असत्य नहीं थी।” (जोर दिया गया)

66. किसी भी तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के संबंध में कानून का सारांश निम्नलिखित तरीके से दिया जा सकता हैः

((i)।न्यायिक सूचना का सिद्धांत, जैसा कि धारा 56 के तहत प्रदान किया गया है, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करके किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए लागू साक्ष्य के सामान्य नियमों के लिए एक अपवाद है।

((ख)।साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, ऐसे किसी भी तथ्य का न्यायिक नोटिस न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है, जो सभी के लिए सर्वविदित है, जो सभी के सामान्य ज्ञान में है, जो आधिकारिक रूप से सत्यापित है, जो रिकॉर्ड आदि के चेहरे पर इतना स्पष्ट है।

(iii)।दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, किसी भी तथ्य की न्यायिक सूचना आम तौर पर कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम में आपराधिक मामलों में नहीं ली जाती है, और मामले का निर्णय मौखिक, सामग्री और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जाता है जो दोष या निर्दोषता को दूर करने के लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

67. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, किसी भी तथ्य की न्यायिक सूचना आम तौर पर आपराधिक मामलों में नहीं ली जाती है, लेकिन वर्तमान मामला पहले जो उल्लेख किया गया है, उसे देखते हुए पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है।यह दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और इसलिए, इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।यह न्यायालय अपनी सुविचारित राय में यह मानता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निर्णय उच्च न्यायालय के निरीक्षण न्यायाधीश की टिप्पणियों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट, सी. डब्ल्यू.-1 श्रीमती के बयान के आधार पर पारित किया गया था। लालमुनी देवी ने

उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत में दर्ज किया, उच्च न्यायालय के समक्ष उनका हलफनामा, उनकी 445

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 446

विचाराधीन अपराध के अभियुक्त सहित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में से एक के समक्ष भोजपुरी में बयान/प्रकटीकरण और कई अन्य आधिकारिक सामग्री।उक्त निर्णय में, खंड पीठ द्वारा किए गए कुछ निष्कर्षों, टिप्पणियों और निर्णयों का वर्तमान मामले की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक पूरी तस्वीर देता है कि कैसे वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के संस्करण को न केवल पुलिस प्रशासन की सहायता से बल्कि लोक अभियोजक की सहायता से राजनीतिक अधिकार और बाहुबल का उपयोग करके ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा था और दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के निर्देशों और निरंतर निगरानी के बावजूद, निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी ने भी न्यायिक अधिकारी के रूप में खुद को अनुचित तरीके से संचालित किया।68. 13.03.2007 दिनांकित निर्णय, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है, की अच्छी तरह से चर्चा की गई है और यह आधिकारिक सामग्री पर आधारित है और इसे ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत के अनुरूप पारित किया गया था।इसके अलावा, मामले के तथ्यों पर इसका एक पथप्रदर्शक प्रभाव है। इस प्रकार, यह न्यायिक नोटिस लेने के उद्देश्य से कानून की आवश्यकता को पूरा करता है, और यह न्यायालय खंड पीठ द्वारा प्राप्त निष्कर्षों, टिप्पणियों और निर्णयों और अभियुक्त के बाद के आचरण की सीमा तक अपने निर्णय में जारी किए गए निर्देशों, लोक अभियोजक, पुलिस प्रशासन और अभियुक्त को अवांछनीय पक्ष देने के लिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की निंदनीय कार्यप्रणाली का न्यायिक नोटिस लेता है।

69. एक अन्य लैटिन मैक्सिम, जिसका अर्थ है कि एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, को यहां उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है।

निश्चित रूप से स्वीकार करें "।मुद्दा **(**बी**):-** अभियुक्त का आचरण**-**धारा **8:**

70. हाथ में मामले में, अभियुक्त का आचरण न केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक है, बल्कि उसके अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रमुख परिस्थितियों में से एक है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

“8. अभिप्रेरणा**,** तैयारी और पूर्व या बाद का आचरण।**—**

कोई भी तथ्य प्रासंगिक है जो मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य के लिए एक उद्देश्य या तैयारी को दर्शाता है या गठित करता है।ऐसे वाद या कार्यवाही के संबंध में, या उसमें जारी या प्रासंगिक किसी तथ्य के संबंध में, किसी वाद या कार्यवाही के लिए किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के किसी अभिकर्ता का आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

किसी भी कार्यवाही का विषय प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य से प्रभावित होता है या प्रेरित होता है, और क्या यह उससे पहले या बाद में था।"

धारा 8 का चित्रण (ई) कैसिइन हाथ पर कुछ प्रकाश डालता है और वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः“चित्रण (ई)-ए पर अपराध का आरोप लगाया जाता है।

तथ्य कि कथित अपराध के समय या बाद में, ए ने साक्ष्य प्रदान किया जो मामले के तथ्यों को अपने लिए अनुकूल उपस्थिति देता है, या कि उसने साक्ष्य को नष्ट कर दिया या छिपा दिया, या उपस्थिति को रोक दिया या उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति प्राप्त की जो गवाह हो सकते थे, या इसके संबंध में गलत साक्ष्य देने के लिए अधीनस्थ व्यक्ति, प्रासंगिक हैं।"

71. अनंत चिंतामन लागू बनाम राज्य के एक बहुत ही दिलचस्प मामले में

बॉम्बे 7 के इस न्यायालय ने उस मामले के अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराते हुए, विचाराधीन घटना के बाद अभियुक्त के आचरण की प्रासंगिकता के पहलुओं और अभियुक्त के अपराध और निर्दोषता का निर्णय करने के लिए न्यायालय द्वारा इसके निष्कर्ष को छुआ है।उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"...एक आपराधिक मुकदमा, निश्चित रूप से, यह निर्धारित करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक आरोपी के आचरण की जांच नहीं है कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी है।इस संबंध में, उस आचरण को दोषपूर्ण माना जा सकता है जिसका इस परिकल्पना के अलावा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है कि वह दोषी है।निर्दोषता की धारणा को नष्ट करने वाले आचरण को ही भौतिक माना जा सकता है।

***

लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनके आचरण से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह हमारे विचार का विषय है।और इस संबंध में, हम इस स्तर पर केवल यह कह सकते हैं कि यदि कुछ पूर्व आचरण आंतरिक रूप से मृत्यु के बाद के आचरण से जुड़ा हुआ है, तो अपीलार्थी का उद्देश्य वास्तव में बहुत स्पष्ट होगा।

***

7 ए. आई. आर 1960 एस. सी. 500 447

हालाँकि, अपीलार्थी के पूरे आचरण को देखते हुए इन तर्कों का कोई लाभ नहीं है, जो अब उजागर हो गया है, जो आचरण हमारी संतुष्टि के लिए साबित हुआ है कि लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि बहुत पहले शुरू हुआ था।यह आचरण इतना जुड़ा हुआ है कि परिस्थितियों का एक नेटवर्क केवल उसके अपराध की ओर इशारा करता है।

72. जिस मामले पर हम विचार कर रहे हैं, उसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने और अभियोजन तंत्र के खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यदि हम ऐसा कहते हैं, तो निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी का भी उसकी मनमानी के लिए इस्तेमाल किया गया था।

73. स्वाभाविक रूप से यह सवाल किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में उठ जाता है कि वह क्यों सहायक था, जबकि वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं था जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था।इसका स्पष्ट उत्तर किसी भी विवेकपूर्ण व्यक्ति के दिमाग में यथोचित रूप से आएगा कि उसका दोषी मन परिणाम के बारे में भयभीत था।ये सभी पहलू संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 का बाद का आचरण उन प्रमुख परिस्थितियों में से एक है जो 25.3.1995 पर सुबह 9 बजे हुई घटना के लिए उसके अपराध की ओर इशारा करती है।

74. हम एक लैटिन मैक्सिम को उद्धृत कर सकते हैं जिसका उचित अर्थ है कि जो व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है उसे भी बोझ उठाना चाहिए।

सेंटीयर डेबिट एट ऑनस इश्यू **(**सी**):-**बयान तहरीर की स्थिति/मृतक का लिखित बयान

75. मामले के अभिलेख की स्थिति पर चर्चा करने से पहले, दोहराव की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाता है कि यह न्यायालय, साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 के बल पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज की गई कुछ टिप्पणियों और टिप्पणियों का पहले ही न्यायिक संज्ञान ले चुका है।

76. केस रिकॉर्ड के अनुसार, घटना 09 बजे हुई थी:00 25.03.1995 पर AM।घायल राजेंद्र राय का एक लिखित बयान (बयान तहरीर) सीएमएचसी, पानापुर में 10 बजे दर्ज किया गया था:30 घंटे।25.03.1995 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।आवर्स, जो घायल राजेंद्र राय के लिखित बयान (बयान तहरीर) पर आधारित था, जिसने बाद में घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।एफ. आई. आर. को न्यायिक मजिस्ट्रेट को 26.03.1995 पर भेजा गया था, और 27.03.1995 पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एफ. आई. आर. देखी गई थी।

77. मुकदमे की कार्यवाही के अवर्णनीय रूप से खेदजनक विध्वंस के कारण, औपचारिक गवाह, यानी, कांस्टेबल क्लर्क और जांच अधिकारी, को प्राथमिकी दर्ज करने और लिखित शिकायत को साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया था।आखिरकार, लिखित बयान/बयान तहरीर के साथ-साथ एफ़. आई. आर. को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं किया गया।सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनी देवी (मृतक राजेंद्र राय की मां) को छोड़कर तथ्य के सभी गवाह या तो डर से या जीते जाने के कारण मुकर गए थे।यहां तक कि पीडब्लू-10 की गवाही, डॉ. सुधीर कुमार को भी आरोपी पक्ष द्वारा उकसाया गया प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने बार-बार (चार बार) निचली अदालत के समक्ष कहा कि "घायल बेहोश थे", इस तथ्य के बावजूद कि चोट की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं है कि "घायल बेहोश थे"78. ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के निंदनीय आचरण के परिणामस्वरूप भी मुकदमे के विभिन्न चरणों में न्याय की विफलता हुई, लेकिन सबसे आपत्तिजनक पहलू यह है कि एक व्यक्ति किशोरी राय, एक जब्ती सूची गवाह (जिसे जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में गवाह के रूप में शामिल नहीं किया गया था) ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया था जिसमें उसकी जांच के साथ-साथ अन्य दो व्यक्तियों नागेंद्र सिंह और संजीव कुमार सिंह (जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, बयान ताहरीरी को सत्यापित करने वाले व्यक्तियों के रूप में कहा गया था, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में गवाह के रूप में शामिल नहीं किया गया था) की सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में जांच की गई थी।हालाँकि, उक्त आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, दिनांक 18.10.2008 के आदेश के अनुसार, इस आधार पर कि आवेदन लोक अभियोजक के माध्यम से नहीं भेजा गया है, जब्ती सूची रिकॉर्ड में नहीं है, व्यक्ति किशोरी राय आरोप पत्र की गवाह नहीं है।निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 13.03.2007 के विस्तृत आदेश पर ध्यान देने के बावजूद इस तरह का दयनीय दृष्टिकोण अपनाया।

79. यहां तक कि उच्च न्यायालय भी, विवादित फैसले में यह स्वीकार करने के बावजूद कि पुनरीक्षण शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 को देखते हुए अपीलीय शक्ति के समान है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386,389,390 और 391 के तहत दी गई अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करके रिकॉर्ड को सीधा करने में विफल रहा, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 (1) के तहत प्रदान किया गया है।

80. अब इस पृष्ठभूमि में, हम विश्लेषण करेंगे कि क्या प्राथमिकी या बयान तहरीर को अभियोजन पक्ष के विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो प्राथमिकी या बयान तहरीर को मृत्यु घोषणा के रूप में मानने के मुद्दे पर कानून की स्थिति क्या होगी।

81. यह कानून की एक निर्विवाद स्थिति है कि एफ. आई. आर. साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर यह विचार व्यक्त किया है।

क) चन्नप्पा अंदानप्पा सिद्दारेड्डी और अन्य के मामले में

v. राज्य 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“3. एफ. आई. आर. आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किए गए सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों का एक अभिलेख होने के नाते साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत, सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी, जिसे किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण करने का अधिकार है, कानूनी शुल्क के भुगतान पर मांग करने पर ऐसे व्यक्ति को इसकी एक प्रति देने के लिए बाध्य है।"ख) जयंतीभाई के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ

लालूभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य **9,** इस प्रकार समाप्त हुआः

“10. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि जब भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो संहिता के प्रावधानों के तहत इसकी एक प्रति अदालत को भेजी जाती है।इस प्रकार यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है। (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, (2) प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 को देखते हुए एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

ग) श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 10 के मामले में, प्रभाग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने भी इसी विचार का पालन किया।

घ) दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ, अपने दम पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए

श्री अजय चौधरी बनाम राज्य **11** के माध्यम से प्रस्ताव पर चर्चा की गई

विभिन्न उच्च न्यायालयों की घोषणाओं और अभिनिर्धारित किया कि इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एफ. आई. आर. साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

8 1980 सी. आर. एल. एल. जे. 1022 9 1992 सी. आर. एल. एल. एल. जे. 2377 10 1998 सी. आर. एल. एल. जे. 2879 11 2011 सी. आर. एल. जे. 1347

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

ङ) हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है।

सचिव**,** गृह मंत्रालय **(**पुलिस**)** और अन्य **12** के माध्यम से नरेंद्र राजपूत बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में दृष्टिकोण।

82. यह न्यायालय उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करता है और मानता है कि एफ. आई. आर. साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है।

83. अब, जो देखा जाना है वह यह है कि कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज केवल उसके प्रस्तुत किए जाने के तथ्य से सिद्ध नहीं होता है।जब इस पर आपत्ति की जाती है तो यह प्रमाण के सामान्य तरीके से साबित होता है।अदालत आमतौर पर एक तथ्य को स्वीकार करती है जैसा कि साबित होता है, जब दस्तावेज़ और उसके सामने साक्ष्य पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दस्तावेज़ में जो कहा गया है वह इस आधार पर विश्वसनीय है कि दस्तावेज़ में क्या कहा गया है, इसके साथ ही दस्तावेज़ का एक गवाह क्या बताता है सामग्री और दस्तावेज़ कैसे तैयार किया गया था/लिखा गया था।84. ट्रायल कोर्ट की सामान्य प्रथा के अनुसार और मामले में लागू सामान्य नियमों (आपराधिक) के अनुसार, किसी भी आपराधिक मामले की जांच और मुकदमे के दौरान पेश किए गए और पेश किए गए सभी कागजात और दस्तावेजों को 'पेपर नंबर' के रूप में चिह्नित किया जाता है और साक्ष्य के स्तर पर, जब किसी भी वस्तु, हथियार, सामग्री या दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो इसे एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया जाता है, चाहे वह वर्णमाला के उपयोग से हो या संख्याओं के उपयोग से (आमतौर पर अभियोजन साक्ष्य के लिए एक्स-का और बचाव साक्ष्य के रूप में एक्स-खा के रूप में)।

85. साक्ष्य के स्तर पर, जब किसी भी दस्तावेज/कागज को औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में माना जाता है, तो न्यायालय दो बुनियादी पहलुओं को देखता है।सबसे पहले, न्यायालय के अभिलेख पर दस्तावेज़ का अस्तित्व और दूसरा, इसके निष्पादन या इसकी सामग्री के प्रमाण को आवश्यक जानकारी रखने वाले गवाह द्वारा पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया जाना, जिसके बाद, विचाराधीन दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाता है।साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में किसी भी दस्तावेज़ को प्रदर्शित करने के चरण में, दस्तावेज़ में जो कहा गया है उसकी सच्चाई पर विचार नहीं किया जाता है।इसे प्रतिपरीक्षा के बाद मुकदमे में अंतिम मूल्यांकन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, और दस्तावेज़ के अस्तित्व और सामग्री के बारे में गवाह की पूरी गवाही को मुकदमे के दौरान उभरने वाले विभिन्न अन्य कारकों के संयोजन में तौला जाता है।अंतिम मूल्यांकन चरण में, ट्रायल कोर्ट यह निष्कर्ष निकालता है कि क्या दस्तावेज़ सच बोलता है और यह तय करता है कि इसका क्या महत्व है।

12 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन छ. 16 451

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 452

इसे अंतिम निर्णय के लिए देना।दूसरे शब्दों में, इसके साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के समय किया जाता है।

86. अरबादा देवी गुप्ता बनाम बीरेंद्र कुमार के मामले में यह अदालत

जयस्वाल और अन्न। 13, पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:"16. .....कानूनी स्थिति इस बात पर विवाद में नहीं है कि केवल किसी दस्तावेज़ को अदालत द्वारा प्रदर्शित करने और चिह्नित करने को उसकी सामग्री का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता है।इसके निष्पादन को स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए जो 'उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा है जो मुद्दे में तथ्यों की सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं'।

87. मामले के इस दृष्टिकोण में, परीक्षण कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर साक्ष्य के एक टुकड़े को 'प्रदर्शन' के रूप में चिह्नित करना केवल परीक्षण में प्रस्तुत साक्ष्य की पहचान के उद्देश्य से और न्यायालय और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए है ताकि इस बात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त की जा सके कि परीक्षण कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में क्या प्रस्तुत किया जा रहा है।

88. जैसा कि हम इस मामले को "अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली के असाधारण रूप से दर्दनाक प्रकरण" के रूप में देख रहे हैं, हम पहले ही विचाराधीन मुकदमे के आरोपी, यह लोक अभियोजक, पुलिस प्रशासन और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के बाद के आचरण के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले का न्यायिक नोटिस ले चुके हैं।

89. वर्तमान मामले में, राज्य तंत्र की विफलता और पीड़ित पक्ष के दृष्टिकोण से निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में निचली अदालत की विफलता को देखते हुए, एफ. आई. आर. और बयान तहरीर को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित न करने का पहलू, औपचारिक गवाहों को पेश न करना, यानी, कॉन्स्टेबल क्लर्क और जांच अधिकारी को एफ. आई. आर. दर्ज करने को साबित करने के लिए, और किशोर राय के नेतृत्व में आवेदन को अस्वीकार करना, जिसमें नागेंद्र सिंह और संजीव कुमार सिंह (जिन्होंने उक्त लिखित बयान पर हस्ताक्षर किए थे) की गवाह के रूप में जांच के साथ-साथ गवाह के रूप में उनकी जांच की मांग की गई थी।

13 (2003) 8 एस. सी. सी. 745

90. उपरोक्त दृष्टिकोण इस न्यायालय के फैसले का समर्थन करता है

राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य **14** का मामला**,** प्रासंगिक उद्धरण

जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:" पैरा 13.इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह निरीक्षण करना उचित समझते हैं कि यद्यपि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खिलाफ मामले को उसके द्वारा बताए गए तरीके से साबित करना है और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी उचित संदेह पैदा करने वाला कोई भी कार्य या चूक अभियुक्त के पक्ष में जाएगा, फिर भी वर्तमान मामले जैसे मामले में जहां रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने रिकॉर्ड एक्सएच को लाकर गड़बड़ी पैदा की है। 5/4 और जी. डी. प्रविष्टि 517 और पुलिस बल के सदस्य या किसी बाहरी कारण से अपीलार्थी को जमानत देने के लिए जो उन्हें करना चाहिए था, उसे करने में छूट और/या जानबूझकर चूक का प्रदर्शन किया है, न्याय के हित की मांग है कि अभियोजन पक्ष के अधिकारियों के ऐसे कार्यों या चूक को अभियुक्त के पक्ष में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह अपीलार्थी के पक्ष में नियोजित रूप से किए गए अभियोजन पक्ष के गलतियों के लिए प्रीमियम देने के बराबर होगा।ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष की कहानी की इस तरह की चूक और अधिकारियों के दूषित आचरण की जांच करनी होगी अन्यथा जानबूझकर की गई शरारत को कायम रखा जाएगा और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय से वंचित कर दिया जाएगा और यह स्पष्ट रूप से न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी में बल्कि न्याय के प्रशासन में भी लोगों के विश्वास को हिला देगा।"

91. अब एफ़. आई. आर./बयान तहरीरीरी को मृत्यु घोषणा के रूप में व्यवहार करने के बारे में और अधिक मुद्दा सामने आता है और इस संबंध में इस न्यायालय के विभिन्न पूर्व निर्णयों ने कानून की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि एफ़. आई. आर. के रूप में दर्ज एक घायल व्यक्ति के बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है और ऐसा बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है। यह भी माना गया कि मृत्यु घोषणा में पूरी घटना को शामिल नहीं किया जाना चाहिए या मामले के इतिहास का वर्णन नहीं किया जाना चाहिए।इस स्थिति के लिए पुष्टि आवश्यक नहीं है; घोषणा करना दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।

92. मुन्नू राजा और एक अन्य बनाम एम**.** पी**. 15** के मामले में**,**

निम्नलिखित अवलोकन प्रासंगिक हैः

14 (1998) 4 एससीसी 517 15 (1976) 3 एससीसी 104 453

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 454

" पैरा 5.इन अंतिम घोषणाओं के संबंध में, सत्र न्यायालय का निर्णय एक पेटेंट इन्फिनिटी से पर्याप्त है कि यह इन अंतिम घोषणाओं में से सबसे पहले की पूरी तरह से अनदेखी करता है, जो मृतक द्वारा बरजोर सिंह के घर में हुई घटना के तुरंत बाद की गई थी।दूसरा बयान जिसे उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु घोषणा के रूप में माना गया है, वह है एक्स। पी-14, एफ़. आई. आर. है जो मृतक द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने शायद यह मान लिया कि चूंकि बयान एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था, इसलिए इसे मृत्यु घोषणा के रूप में नहीं माना जा सकता है।इस धारणा में, वह स्पष्ट रूप से गलत था।पुलिस के सामने बयान देने के बाद, बहादुर सिंह ने दम तोड़ दिया और इसलिए बयान को मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत स्वीकार्य है। बयान देने वाला मर चुका है और बयान उसकी मौत के कारण से संबंधित है।

पैरा 6.उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ये कथन अनिवार्य रूप से सत्य हैं और किसी भी असंवेदनशीलता के लिए पर्याप्त नहीं हैं।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हालांकि एक मृत्यु घोषणा को इस कारण से सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए कि बयान देने वाला प्रतिपरीक्षा के अधीन नहीं हो सकता है, न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का नियम है जो कानून के नियम में कठोर हो गया है कि मृत्यु घोषणा पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।

***

पैरा 10.हम उच्च न्यायालय के साथ पूरी तरह से सहमत हैं कि ये दोनों मृत्यु घोषणाएं सत्य हैं।हमारा आगे यह मत है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इन दोनों बयानों को बिना पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है।बहादुर सिंह पर दिन के उजाले में हमला किया गया और वह अपीलार्थियों को जानते थे।उन्हें उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी और इसलिए उनके पास उन्हें गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था।जो लोग हमले के बाद बहादुर सिंह के साथ थे, उनके पास भी अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं था।अपीलार्थियों के प्रति उनकी कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं था।हम दो मृत्यु घोषणाओं के साथ कोई असंवेदनशीलता नहीं देखते हैं जो पुष्टि के लिए देखना आवश्यक बनाती हैं।"

93. राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में यह न्यायालय

ओआरएस **16** ने पैराग्राफ **6** में कानून की चर्चा इस प्रकार की हैः

16 (1998) 4 एस. सी. सी. 517

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

" पैरा 6.मृत्यु घोषणा से संबंधित कानून-प्रासंगिकता, स्वीकार्यता और इसका संभावित मूल्य-उचित रूप से तय किया गया है। अक्सर 'प्रासंगिकता और स्वीकार्यता' अभिव्यक्तियों का उपयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है, लेकिन उनके कानूनी निहितार्थ स्पष्ट और भिन्न होते हैं क्योंकि अधिक बार प्रासंगिक तथ्य स्वीकार्य नहीं होते हैं; इसलिए जो तथ्य स्वीकार्य हैं वे भी प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, सच्चाई का परीक्षण करने या गवाहों के श्रेय पर महाभियोग लाने के लिए प्रतिपरीक्षा में रखे जाने की अनुमति वाले प्रश्न, हालांकि प्रासंगिक नहीं हैं, स्वीकार्य हैं।साक्ष्य का संभाव्य मूल्य उसे दिया जाने वाला महत्व है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आंका जाना है।इस मामले में, प्रस्तुत करने का जोर प्रासंगिकता या स्वीकार्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि Exh.2 को दिए जाने वाले मूल्य से संबंधित है।एक व्यक्ति द्वारा की गई मृत्यु घोषणा जो अपनी मृत्यु के कारण के रूप में या लेनदेन की किसी भी परिस्थिति के रूप में की गई है जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, उन मामलों में जिनमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रासंगिक है और साक्ष्य में भी स्वीकार्य है।यद्यपि मृत्यु घोषणा सुनी-सुनाई बातों का एक प्रकार होने के कारण

अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, फिर भी यह सुनी-सुनाई बातों की स्वीकार्यता के खिलाफ नियम का एक अपवाद है।वास्तव में, यह ठोस साक्ष्य है और किसी भी अन्य ठोस साक्ष्य की तरह आरोपी को दोषी ठहराने का आधार बनाने के लिए किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।लेकिन फिर यह सवाल कि मृत्यु घोषणा के साथ कितना वजन जोड़ा जा सकता है, तथ्य का सवाल है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।"

94. हम सुरेश चंद्र जन बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ को उपयोगी रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल और अन्य, (2017) 16 एस. सी. सी. 466 में रिपोर्ट किए गए, जो इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः“32.साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु घोषणा के महत्व पर चर्चा करना अनुचित नहीं होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में अंतर्निहित सिद्धांत 'निमो मोरिटुरस प्रेसुमिटुर मेंटायर' है अर्थात, मनुष्य अपने निर्माता से अपने मुंह में झूठ बोलकर नहीं मिलेगा।मृत्यु घोषणा सुनी-सुनाई बातों के नियम के अपवादों में से एक है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून का कोई पूर्ण नियम नहीं है 'कि मृत्यु घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती है जब तक कि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है'।पुष्टि की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है [देखें पानीबेन (श्रीमती) बनाम गुजरात राज्य, (1992) 2 एस. सी. सी. 474; 455

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 456

मुन्नू राजा और अन्र बनाममध्य प्रदेश राज्य, (1976) 3 एससीसी 104; यू. पी. राज्य बनामराम सागर यादव, (1985) 1 एस. सी. सी. 552; रामावती देवी बनाम बिहार राज्य, (1983) 1 एस. सी. सी. 211]।इसके अलावा, यदि मृत्यु घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रहता है, तो ऐसा बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि ऐसे बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत स्वीकार्य हो सकते हैं [गजुला सूर्य प्रकाशराव बनाम ए. पी. राज्य, (2010) 1 एस. सी. सी. 88 देखें]

33. आपराधिक मुकदमे में मृत्यु घोषणा के महत्व के आलोक में, मृत्यु घोषणा को दर्ज करने में कर्तव्य की लापरवाही और चिकित्सा-कानूनी न्यायशास्त्र के बारे में डॉक्टर की अज्ञानता हमारे सामने रखी गई सामग्री से स्पष्ट है।मेरा ध्यान विभिन्न निर्णयों की ओर आकर्षित किया गया है, जिनमें डॉक्टरों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के पहलुओं और चिकित्सा न्यायशास्त्र में चिकित्सा-कानूनी पहलू के महत्व को संबोधित किया गया है।पुलिस विभाग, 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 1251 और इंद्रजीत खांडेकर बनाम भारत संघ और अन्य, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4810]।यह याद रखना होगा कि इस आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रत्येक हितधारक से अपेक्षा की जाती है कि वह सच्चाई को सामने लाने के लिए निष्पक्षता की भावना के साथ कार्य करे ताकि उन लोगों को सजा दी जा सके जो योग्य हैं।यद्यपि न्यायालयों को न्याय प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान किया गया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस देश में न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रभावी वितरण के लिए सभी हितधारकों के समर्थन की आवश्यकता है।उपरोक्त के आलोक में, प्रत्येक हितधारक से अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक होने और आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की उम्मीद की जाती है।

34. अंतिम पहलू दोषपूर्ण जांच और अभियोजन के बारे में है।यदि लापरवाही से की गई जाँच या चूक या चूक, कार्यात्मक जाँच के कारण, प्रभावी रूप से ठीक नहीं की जाती है, तो कानून लागू करने वाली एजेंसी में लोगों का विश्वास और विश्वास हिल जाएगा।इसलिए पुलिस को अत्यधिक परिश्रम, गंभीरता और शीघ्रता का प्रदर्शन करना पड़ता है।[राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य, (1998) 4 एस. सी. सी. 517] का उल्लेख करें।

35. किसी भी सभ्य आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए यह बुनियादी आवश्यकता है कि मुकदमा निष्पक्ष होना चाहिए।यह एक ऐसे समाज में आवश्यक है जो मानवाधिकारों को मान्यता देता है और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित है।

कानून का शासन, लोकतंत्र और खुलेपन।मुकदमे का पूरा उद्देश्य दोषी को दोषी ठहराना और साथ ही निर्दोष की रक्षा करना है। इस प्रक्रिया में अदालतों को हमेशा सच्चाई की खोज में रहना चाहिए और न्याय के उद्देश्य को विफल किए बिना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।"

95. मामले में मृतक राजेंद्र राय ने बयान तहरीर के रूप में अपना बयान दिया और लेन-देन की पूरी घटना और परिस्थितियों को सुनाया जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।इसके बाद, विचाराधीन घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।यह तथ्य विवाद में नहीं है और इसलिए, उपरोक्त मामले के कानूनों का पालन करते हुए, घायल राजेंद्र राय के बयान तहरीर के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी को मृत्यु घोषणा के रूप में माना जा सकता है, जो अपने आप में सबूत का एक ठोस टुकड़ा है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत स्वीकार्य है।

96. वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर., एक सार्वजनिक दस्तावेज और सूचना देने वाले की मृत्यु घोषणा होने के नाते, पूरे अभियोजन मामले की नींव है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमें 'उन व्यक्तियों के साक्ष्य का पता लगाना होगा जो मुद्दे में तथ्यों की सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं'।जैसा कि नर्मदा देवी गुप्ता (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया है, एफ. आई. आर./मृत्यु घोषणा की सामग्री की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, जिसके लिए अभियुक्त-प्रतिवादी नं.2 और अभियुक्त को अवांछनीय पक्ष देने के लिए लोक अभियोजक, पुलिस प्रशासन और विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की निंदनीय कार्यप्रणाली का पहलू, एकमात्र दोषपूर्ण साक्ष्य श्रीमती लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) की गवाही है, जिस पहलू पर इसके बाद विचार किया जा रहा है।

मुद्दा **(**डी**):**सी**.** डब्ल्यू**.-1** की गवाहीः

97. वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर./बयान तहरीर के अलावा, जो मृत्यु घोषणा के रूप में है, सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी की गवाही अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक और अपराध साबित करने वाला सबूत है।सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी का बयान जाँच के दौरान आई. डी. 2 पर दर्ज किया गया था और मुक़दमे के दौरान उन्हें अभियोजन गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें अदालत के गवाह (सी. डब्ल्यू.-1) के रूप में तलब किया था और उनका पहला बयान आई. डी. 3 पर दर्ज किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 457 द्वारा उनके अपहरण के गंभीर आरोप को देखते हुए आई. डी. 1 के बंदी प्रत्यक्षीकरण फैसले में जारी विभिन्न निर्देशों में से एक के माध्यम से रद्द कर दिया था।

निचली अदालत और उच्च न्यायालय में उसकी जांच से ठीक पहले आरोपी पक्ष ने निर्देश दिया कि उसे सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पटना में निचली अदालत के समक्ष नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद, निचली अदालत द्वारा सी. डब्ल्यू.-1 की जांच की गई जब उसने विचाराधीन घटना के बारे में गवाही दी और एफ. आई. आर. में वर्णित अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया। 98.उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में निष्कर्ष निकाला कि सी. डब्ल्यू.-1 लालमुनि देवी एक सुनी-सुनाई गवाह नहीं हैं, जैसा कि निचली अदालत ने माना है, लेकिन जिरह में उनकी अंतिम दो पंक्तियों को देखते हुए एक प्रशिक्षित गवाह हैं।तथ्य का कोई अन्य अभियोजन गवाह सी. डब्ल्यू.-1 की गवाही की पुष्टि नहीं करता है।इसके बजाय, उनकी गवाही सीडब्ल्यू-1 के खिलाफ है क्योंकि किसी अन्य अभियोजन गवाह ने उनकी उपस्थिति के बारे में नहीं कहा है।उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निष्कर्ष के लिए दिया गया मुख्य कारण यह है कि उसने अपनी जिरह के अंत में कहा है कि "उसके बेटे (एक अन्य जीवित बेटे) ने उसे अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था।"

99. उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया उपरोक्त निष्कर्ष अस्वीकार्य है और कानून की गंभीर त्रुटि और तथ्य की त्रुटि से भी काफी है।उच्च न्यायालय मामले की योग्यता को अपने सही परिप्रेक्ष्य में लेने में पूरी तरह विफल रहा है और मामले से जुड़ी संवेदनशीलता पर ध्यान देने में विफल रहा है।

100. उच्च न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि राज्य तंत्र की पूर्ण विफलता के कारण, यह न्याय की संस्था थी जिसने पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से और दूसरा, जिला न्यायाधीश के निरीक्षण न्यायाधीश के टिप्पणियों का निरीक्षण करने और उच्च न्यायालय की स्थायी समिति के संकल्प का आधार रखने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत स्वतः संज्ञान संशोधन के माध्यम से कार्य को अपने हाथ में लिया था।स्थायी समिति के कार्यवृत्त और निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की दिनांक 1 की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया।

101. उच्च न्यायालय को मामले में हुई घटनाओं के चेकर इतिहास पर विचार करना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले में उक्त आपराधिक मुकदमे के सभी हितधारकों के संचालन के बारे में गंभीर टिप्पणियां थीं और साथ ही निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश की रिपोर्ट का प्रभाव दिनांक 04.05.2009।

102. सी. डब्ल्यू.-1 एक बूढ़ी औरत और मृतक राजेंद्र राय की माँ और घटना की चश्मदीद गवाह थी, जिसकी पहली जाँच को उच्च न्यायालय ने उस पहली जाँच से कुछ दिन पहले उसके अपहरण के आरोप पर रद्द कर दिया था।वह लगातार खतरे में थी और गंभीर परिणाम का सामना करने का डर था, जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है।इन परिस्थितियों में, यदि उसने अपनी जिरह के अंत में कहा था कि उसके बेटे ने उसे निचली अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था, तो ऐसा कुछ भी विरोधाभासी या आश्चर्यजनक नहीं है जो बाकी मूल नेत्र साक्ष्य को प्रशिक्षित साक्ष्य के रूप में माने।इस संबंध में, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि हालांकि आरोप पत्र में सीडब्ल्यू-1 का नाम नहीं था, लेकिन पीरबहोर पुलिस स्टेशन ने उसका बयान दर्ज किया जब वह पीएमएचसी में अपने घायल बेटे की देखभाल कर रही थी, जो यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि उसका बयान जांच के दौरान दर्ज किया गया था।

103. विचाराधीन घटना के दौरान हुई घटनाओं के अनुक्रम के संबंध में सी. डब्ल्यू.-1 की गवाही में कोई गंभीर विसंगति या भिन्नता नहीं है।वर्तमान मामले के सी. डब्ल्यू.-1 की तरह, एक गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो और वह किसी घटना के विवरण को याद कर सके।उसकी गवाही में तुच्छ प्रकृति की भिन्नताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है।उसकी जाँच के अंत में उसके द्वारा बोला गया वाक्य कि "उसका बेटा"

उसे अदालत के समक्ष आरोपी का नाम लेने के लिए कहा था "ऐसा नहीं है"

वर्तमान जैसे मामले में आश्चर्यजनक।जब सी. डब्ल्यू.-1 का पूरा परिवार इतने सारे तूफानों का सामना कर रहा था, तो एक बेटे के लिए अपनी माँ (जो बूढ़ी, अनपढ़, देहाती महिला थी, जिसने भारी आघात का सामना किया था) से यह कहना स्वाभाविक है कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों के नाम का खुलासा करना नहीं भूलना चाहिए, जितना कि उसकी परीक्षा का दूसरा अवसर, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 311 के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा आदेश दिया गया था, उसके लिए निचली अदालत के समक्ष सच बोलने का अंतिम अवसर था।

104. हम सी. डब्ल्यू.-1 के बयान में कुछ भी असामान्य नहीं पाते हैं, और उनका नेत्र साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है और उनके बेटे राजेंद्र राय की मृत्यु घोषणा की पुष्टि करता है। हमारा यह निष्कर्ष साक्ष्य की सराहना के बुनियादी और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जो

बालू सुदाम खाल्डे और एक अन्य बनाम राज्य के मामले में यह न्यायालय

महाराष्ट्र **17** ने एक आपराधिक मामले में नेत्र साक्ष्य की सराहना के सिद्धांतों के रूप में संक्षेपित किया है**,** जिसे हम इसके बाद उपयोगी रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैंः

17 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 355 459

“मौखिक प्रमाण की उपस्थिति

पैरा 25.नेत्र साक्ष्य का मूल्यांकन एक कठिन कार्य है।नेत्र साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए कोई फाई जेड या स्ट्रेट-जैकेट सूत्र नहीं है। आपराधिक मामले में नेत्र साक्ष्य की सराहना के लिए न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों को निम्नानुसार गिना जा सकता हैः

आई. "I. एक गवाह के साक्ष्य की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो इसमें सच्चाई का घेरा प्रतीत होता है।एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह साक्ष्य की अधिक जांच करे, विशेष रूप से समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई अवहेलनाओं, कमियों और

असंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और यह पता लगाने के लिए उनका मूल्यांकन करे कि क्या यह गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य आधार के खिलाफ है और क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन इसे विश्वास के अयोग्य बनाने के लिए हिलाया गया है।

II. यदि जिस न्यायालय के समक्ष गवाह साक्ष्य देता है, उसे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य सार के बारे में राय बनाने का अवसर मिलता है, तो जिस अपीलीय न्यायालय को यह लाभ नहीं हुआ था, उसे विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना को उचित महत्व देना होगा और जब तक कि भारी और दुर्भावनापूर्ण कारण न हों, तब तक तुच्छ विवरणों के मामले में मामूली भिन्नताओं या असंवेदनशीलता के आधार पर साक्ष्य को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

III. जब चश्मदीद गवाह की विस्तार से जांच की जाती है तो उसके लिए कुछ विसंगतियां करना काफी संभव है।लेकिन अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी गवाह के साक्ष्य में विसंगतियां उसके बयान की विश्वसनीयता के साथ इतनी असंगत होती हैं कि अदालत को उसके साक्ष्य को रद्द करने में न्यायसंगत ठहराया जाता है।

IV. मामूली मामलों पर मामूली विसंगतियां जो मामले के मूल को नहीं छूती हैं, साक्ष्य से यहाँ या वहाँ संदर्भ से फाड़े गए वाक्यों को लेकर अति तकनीकी दृष्टिकोण, जांच अधिकारी द्वारा की गई कुछ तकनीकी त्रुटि को महत्व देना जो मामले की जड़ तक नहीं जाता है, सामान्य रूप से साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

V. किसी घटना के कथन में केवल भिन्नताओं (या तो दो गवाहों के साक्ष्य के बीच या एक ही गवाह के दो बयानों के बीच) पर अपनाए जाने वाला बहुत गंभीर दृष्टिकोण न्यायिक जांच के लिए एक अवास्तविक दृष्टिकोण है।

VI. मोटे तौर पर एक गवाह से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो और वह किसी घटना के विवरण को याद कर सके।ऐसा नहीं है कि एक वीडियो टेप को मानसिक स्क्रीन पर फिर से चलाया जाता है।VII. आम तौर पर ऐसा होता है कि एक गवाह घटनाओं से आगे निकल जाता है।गवाह उस घटना का अनुमान नहीं लगा सकता था जिसमें अक्सर आश्चर्य का तत्व होता है।इसलिए मानसिक क्षमताओं को विवरणों को अवशोषित करने के लिए अनुकूलित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

VIII. अवलोकन की शक्तियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं।जिसे एक देख सकता है, दूसरा नहीं भी देख सकता है। एक वस्तु या गतिविधि एक व्यक्ति के दिमाग पर अपनी छवि बना सकती है जबकि यह दूसरे की ओर से किसी का ध्यान नहीं जा सकता है।

IX. बहुत से लोग किसी बातचीत को सटीक रूप से याद नहीं कर सकते हैं और उनके द्वारा उपयोग किए गए या उनके द्वारा सुने गए शब्दों को पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।वे केवल बातचीत के मुख्य उद्देश्य को याद कर सकते हैं।एक गवाह से मानव टेप रिकॉर्डर होने की उम्मीद करना अवास्तविक है।X. किसी घटना के सटीक समय, या किसी घटना की समय अवधि के संबंध में, आमतौर पर, लोग पूछताछ के समय क्षण की गति पर अनुमान लगाकर अपना अनुमान लगाते हैं।और ऐसे मामलों में लोगों से बहुत सटीक या विश्वसनीय अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।पुनः, यह व्यक्तियों की समय-बोध पर निर्भर करता है जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है।

XI. आम तौर पर एक गवाह से उन घटनाओं के अनुक्रम को सटीक रूप से याद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जो तेजी से या कम समय में होती हैं।एक गवाह भ्रमित हो सकता है, या बाद में पूछताछ करने पर भ्रमित हो सकता है।

बारहवीं। 461 एक गवाह, हालांकि पूरी तरह से सच्चा है, अदालत के माहौल और वकील द्वारा भेदी प्रतिपरीक्षा और घबराहट के कारण तथ्यों को मिलाने से भ्रमित हो जाता है।

घटनाओं के अनुक्रम के बारे में, या पल की प्रेरणा पर कल्पना से विवरण प्राप्त करें।गवाह का अवचेतन मन कभी-कभी मूर्ख दिखने या अविश्वास होने के डर के कारण काम करता है, हालांकि गवाह अपने द्वारा देखी गई घटना का सच्चा और ईमानदार विवरण दे रहा है।

तेरहवीं। एक पूर्व कथन हालांकि साक्ष्य के साथ असंगत प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि विरोधाभास के लिए पर्याप्त हो।जब तक पहले के बयान में बाद के बयान को बदनाम करने की शक्ति नहीं है, तब तक उस गवाह का खंडन करना मददगार नहीं होगा, भले ही बाद का बयान कुछ हद तक पहले के बयान से भिन्न हो।"

[भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य**, 1983** क्राई एल**.** जे**. 1096** देखिएः**((1983) 3** एससीसी **217:**ए**.** आई**.** आर **1983** एस**.** सी**. 753)** लीला राम बनाम हरियाणा राज्य**, (1999) 9** एस**.** सी**.** सी**. 525:**ए**.** आई**.** आर**. 1999** एस**.** सी**. 3717** और तहसीलदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(**ए**.** आई**.** आर**. 1959** एस**.** सी**. 1012)]**

105. मामले की समग्रता में, यह न्यायालय मानता है कि सी. डब्ल्यू.-1, लालमुनि देवी (मृतक राजेंद्र राय की मां) की गवाही इसकी पुष्टि करती है और इसे विश्वसनीय बनाती है।लालमुनि देवी (सी. डब्ल्यू.-1) द्वारा वर्णित घटना के समय, स्थान और तरीके के बारे में वर्णन, अभियुक्त व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिका आदि, एफ. आई. आर./बयान तहरीर की सामग्री के अनुरूप है।

106. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अभियुक्त के अपराध का निर्धारण करने के लिए सामान्य से अलग रास्ता अपनाया जा रहा है।न्यायालय वर्तमान मामले के स्पष्ट रूप से विशिष्ट तथ्यों में ऐसा करने के लिए मजबूर है, जिन पर पिछले पैराग्राफ में विस्तार से चर्चा की गई है।

107. हमने देखा है कि आपराधिक मुकदमे में तीन मुख्य हितधारक, अर्थात् जांच अधिकारी जो बिहार राज्य की पुलिस का हिस्सा है, लोक अभियोजक और न्यायपालिका, सभी अपने-अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं।इस न्यायालय ने बार-बार आपराधिक वितरण प्रणाली में प्रमुख हितधारकों की विफलता पर टिप्पणी की है।

108. हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में बनामच. भजन लाल

और अन्य 18., इस न्यायालय ने पुलिस कार्यालय के आचरण पर टिप्पणी की थी।उक्त निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः"मानवीय गरिमा हमारे संविधान का एक प्रिय मूल्य है।लेकिन यदि कोई पुलिस अधिकारी सीमा का उल्लंघन करता है और किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अपनी जांच शक्तियों का अनुचित और अवैध रूप से प्रयोग करता है, तो किसी भी शिकायत के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा संपर्क किए जाने पर न्यायालय को उल्लंघन की प्रकृति और सीमा पर विचार करना होगा और नागरिकों को पुलिस अधिकारियों की दया पर छोड़े बिना उचित आदेश पारित करना होगा क्योंकि मानव गरिमा हमारे संविधान का एक प्रिय मूल्य है।"

109. जहाँ तक लोक अभियोजकों का संबंध है, न केवल इस न्यायालय द्वारा बल्कि विधि आयोग द्वारा भी लोक अभियोजक की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं।हम 197 वें विधि आयोग में अभियोजकों की भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं।

लोक अभियोजकों की नियुक्तियों पर भारत की रिपोर्ट **(2006):**

"अभियोजक का राज्य, अभियुक्त और न्यायालय के प्रति कर्तव्य है।अभियोजक हमेशा न्याय मंत्री होता है, हालांकि शायद ही कभी ऐसा वर्णित किया जाता है।अभियोजन पक्ष के वकील का यह कर्तव्य नहीं है कि वह दोषसिद्धि सुनिश्चित करे, किसी भी अभियोजक को केवल सफलता के तथ्य पर गर्व या संतुष्टि भी महसूस नहीं करनी चाहिए।"

भारत के 154 वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस प्रकार बताया गया थाः"अभियोजक न्याय मंत्री होते हैं जिनका काम न्याय के प्रशासन में राज्य की सहायता करने के अलावा और कुछ नहीं होता है।वे किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं।उनका काम मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को अदालत के समक्ष रखते हुए अदालत की सहायता करना है।वे दोषियों को दोषसिद्धि से बचते हुए देखने के लिए भी वहां नहीं हैं।"

110. यह न्यायालय ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम राज्य के मामले में

गुजरात **19** ने निष्पक्ष सुनवाई के संचालन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

18 ए. आई. आर 1992 एस. सी. 604 19 (2004) 4 एस. सी. सी. 158 463

हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [विक्रम नाथ, जे.] 464

"निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना आरोपी के साथ उतना ही अन्याय है जितना कि पीड़ित और समाज के साथ।स्पष्ट रूप से निष्पक्ष मुकदमे का अर्थ एक निष्पक्ष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति का वातावरण होगा।निष्पक्ष विचारण का अर्थ है एक ऐसा विचारण जिसमें अभियुक्त, गवाहों या जिस कारण पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है।यदि गवाहों को धमकी दी जाती है या उन्हें गलत सबूत देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी।भौतिक गवाहों को सुनने में विफलता निश्चित रूप से निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है।"

***

"अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई देने में विफलता कानून की उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों का भी उल्लंघन करती है।कानून की उचित प्रक्रिया की अवधारणा में यह अंतर्निहित है कि निंदा केवल उस मुकदमे के बाद की जानी चाहिए जिसमें सुनवाई वास्तविक हो, न कि दिखावा या केवल प्रहसन और ढोंग।चूँकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रक्रिया को संरक्षित करने के अवसर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जल्दबाजी, चरण-प्रबंधित, अनुरूप और पक्षपातपूर्ण परीक्षण द्वारा दूषित और उल्लंघन किया जा सकता है।"

***

"गवाहों के बार-बार शत्रुतापूर्ण होने के कारण अदालतों द्वारा सामना किए जाने वाले कई अनुभवों के कारण कार्रवाई करने का समय आ गया है, या तो सत्ता में रहने वालों के इशारे पर धमकियों, जबरदस्ती, प्रलोभन और मौद्रिक विचारों के कारण, उनके गुर्गों और भाड़े के लोगों, राजनीतिक प्रभाव और संरक्षण और असंख्य अन्य भ्रष्ट प्रथाओं को सच्चाई को दबाने और दबाने के लिए अपनाया गया है और वास्तविकताएं सामने आती हैं जो सच्चाई और न्याय को अंतिम हताहत बनाती हैं।व्यापक सार्वजनिक और सामाजिक हितों के लिए आवश्यक है कि अपराध के पीड़ित जो अभियोजन के लिए सामान्य रूप से पक्षकार नहीं हैं और उनकी अभियोजन एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य के हित धीमी प्रक्रिया में भी पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय रूप से, जो यदि अनुमति दी जाती है तो न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर और नष्ट कर देगा, जो अंततः अराजकता, उत्पीड़न और अन्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप संविधान द्वारा स्थापित और ईर्ष्या से संरक्षित और संरक्षित कानून के शासन की इमारत पूरी तरह से टूट और ध्वस्त हो सकती है।गवाह की रक्षा करने की आवश्यकता आती है।" ***

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

"एक अधिक गंभीर आधार जो हमें एक से अधिक तरीकों से परेशान करता है, वह है एक निष्पक्ष और निष्पक्ष मुकदमे के लिए अनुकूल वातावरण का कथित अभाव।हमारे देश में यह एक आम घटना बनती जा रही है कि अदालत की कार्यवाही को अशिष्ट गुंडों और अनियंत्रित भीड़ द्वारा बाधित किया जा रहा है, हाथापाई, मजाक या जयकार और धमकी, शोर और बदतर के साथ न्यायिक सुनवाई को बाधित किया जा रहा है।"

111. निचली अदालत और उच्च न्यायालय मामले की संवेदनशीलता और पेचीदगियों पर ध्यान देने में बुरी तरह विफल रहे।न केवल प्रशासनिक न्यायाधीश द्वारा बल्कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निर्णय करने वाली खंड पीठ द्वारा भी टिप्पणियों और निर्णयों को दर्ज किए जाने के बावजूद, दोनों न्यायालयों ने जांच के तरीके, अभियोजक की भूमिका, और अभियुक्त की मनमानी के साथ-साथ विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आचरण पर अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं।उन्होंने सबूतों को इस तरह से निपटाने के अपने पारंपरिक तरीके को जारी रखा जैसे कि यह एक सामान्य परीक्षण हो।वे औपचारिक गवाहों से पूछताछ न करने में भी लोक अभियोजक के आचरण पर ध्यान देने में विफल रहे और यह भी कि लोक अभियोजक अभियुक्त पर उचित परिश्रम और ईमानदारी के साथ मुकदमा चलाने के बजाय अभियुक्त के लाभ के लिए काम कर रहा था।अभियुक्त को बरी

करने वाले विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और संशोधन को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, दोनों तथ्यों, कानूनी प्रक्रियाओं के साथ-साथ एक आपराधिक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में कानून से अच्छी तरह से अवगत थे।नीचे की दोनों अदालतों ने प्रशासनिक रिपोर्टों के साथ-साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को भी नजरअंदाज कर दिया।वास्तव में उन्हें इसका न्यायिक संज्ञान लेना चाहिए था।वे घटना के बाद अभियुक्त के आचरण को ध्यान में रखने में पूरी तरह से विफल रहे, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 को देखते हुए बेहद प्रासंगिक और सामग्री थी। वे अपने अपराध के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में विफल रहे।

112. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 किसी भी अदालत को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है।ऐसा व्यक्ति गवाह के रूप में बुलाया गया व्यक्ति नहीं हो सकता है।वापस बुलाने और पुनः जाँच करने की शक्ति भी निहित है। अवधारणा यह है कि यह मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक होना चाहिए।उक्त खंड को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **311**

311. भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने की शक्ति।कोई भी न्यायालय, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या।पहले से ही जाँच किए गए किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और फिर से जाँच करना; और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जाँच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जाँच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।" इस शक्ति का प्रयोग न केवल विचारण न्यायालय द्वारा बल्कि अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है।इस प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि न्यायालयों का प्रयास सच्चाई का पता लगाना है जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक होगा।इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 367 और 391 उच्च न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए मृत्यु संदर्भ और अपीलीय न्यायालयों से निपटने की शक्तियां प्रदान करती हैं।उक्त खंडों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **367**

367. आगे की जांच करने या अतिरिक्त साक्ष्य लेने का निर्देश देने की शक्ति।

(1) यदि, जब ऐसी कार्यवाही प्रस्तुत की जाती है, तो उच्च न्यायालय सोचता है कि दोषी व्यक्ति के अपराध या निर्दोषता पर असर डालने वाले किसी भी बिंदु पर आगे की जांच की जानी चाहिए, या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना चाहिए, तो वह ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे सत्र न्यायालय द्वारा बनाए जाने या लेने का निर्देश दे सकता है।(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं देता है, तब तक दोषी व्यक्ति की उपस्थिति को उस समय समाप्त किया जा सकता है जब ऐसी जांच की जाती है या ऐसा सबूत लिया जाता है।

(3) जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच या साक्ष्य (यदि कोई हो) नहीं किया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम ऐसे न्यायालय को प्रमाणित किया जाएगा।"

"दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973** की धारा **391**

391. अपीलीय न्यायालय आगे साक्ष्य ले सकता है या इसे लेने का निर्देश दे सकता है।(1) इस अध्याय के तहत किसी भी अपील से निपटने में, अपीलीय न्यायालय, यदि वह अतिरिक्त साक्ष्य को आवश्यक समझता है, तो अपने कारणों को दर्ज करेगा।

और या तो ऐसा साक्ष्य स्वयं ले सकता है, या इसे मजिस्ट्रेट द्वारा लेने का निर्देश दे सकता है, या जब अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय हो, तो सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा।

(2) जब सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाता है, तो वह अपीलीय न्यायालय को ऐसे साक्ष्य को प्रमाणित करेगा और फिर ऐसा न्यायालय अपील का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।(3) अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने पर अभियुक्त या उसके वकील को उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के तहत साक्ष्य लेना अध्याय XXIII के प्रावधानों के अधीन होगा, जैसे कि यह एक जांच थी।"

अन्यथा भी विधि और प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांतों के तहत अपीलीय न्यायालय एक न्यायसंगत और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने के प्रयास में विचारण न्यायालय में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

113. वर्तमान मामले में, दुर्भाग्य से निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय पुलिस के कागजात को साबित करने के लिए आरोप पत्र के गवाहों को बुलाने के लिए उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहे।आवेदन किए जाने के बावजूद उन व्यक्तियों को समन भेजा गया जिन्हें आरोप पत्र में गवाह के रूप में नहीं दिखाया गया था, निचली अदालत ने 2006 में और फिर 2008 में उक्त आवेदनों को बार-बार इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था या कि लोक अभियोजक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का घोर उल्लंघन करते हुए इस तरह के आवेदन का नेतृत्व नहीं किया था।

114. तथ्यों और कानूनी स्थिति की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, कानूनी स्थिति के आलोक में साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

क) राजेंद्र राय का फरद बयान, जिसे बाद में एक प्राथमिकी में परिवर्तित कर दिया गया था, साक्ष्य में स्वीकार्य है और इसे मृत्यु घोषणा या उनके अंतिम बयान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

ख) दागी जाँच अभियुक्त-उत्तरदाता नं.2, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, सत्तारूढ़ दल के वर्तमान सांसद होने के नाते।

ग) अभियोजन पक्ष ने शत्रुतापूर्ण गवाहों के माध्यम से भी यह स्थापित किया था कि 467 में दी गई घटना की तारीख, समय और स्थान

राजेंद्र राय का फरद बयान पूरी तरह से स्थापित था।एकमात्र मुद्दा हमलावरों की पहचान के संबंध में था।

घ) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजेंद्र राय और दारोगा राय की मृत्यु हत्या की प्रकृति की थी।चिकित्सकीय कानूनी रिपोर्टों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का इस हद तक समर्थन किया कि चोटें हाथ की हड्डी के कारण लगी थीं, जो तीन घायलों में से दो के लिए घातक साबित हुई।

ङ) अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष उनके बाद के आचरण को देखते हुए निकाला जाता है।

च) अभियुक्त, जाँच एजेंसी, लोक अभियोजक और मुकदमे का संचालन करने वाले पीठासीन अधिकारी के आचरण के संबंध में दिनांकित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में निर्णय का न्यायिक नोटिस लिया जाता है।

छ) संबंधित न्यायाधीशों, जो संवैधानिक पदाधिकारी थे, की दो प्रशासनिक रिपोर्टों को भी उचित विश्वसनीयता दी जानी चाहिए और अभियुक्त, लोक अभियोजक और मुकदमे का संचालन करने वाले पीठासीन अधिकारी के आचरण के संबंध में पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ज) सी. डब्ल्यू.-1 का बयान विश्वसनीय पाया गया है, और नीचे के न्यायालयों ने इसे इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि यह सुनी-सुनाई और सिखाया गया था।

i) मृत्यु घोषणा और सी. डब्ल्यू.-1 का बयान पूरी तरह से यह स्थापित करता है कि यह प्रभुनाथ सिंह थे, जिन्होंने अपने हथियार से चोटें पहुंचाई थीं, जो तीन घायलों में से दो के लिए घातक साबित हुई और तीसरे जीवित घायल, अर्थात् श्रीमती को भी चोट लगी। देवी।

जे) प्रभुनाथ सिंह (अभियुक्त संख्या 1) इस प्रकार हत्या और हत्या के प्रयास के लिए गैर-इरादतन हत्या करने के लिए आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है।

के) शेष अभियुक्त, यद्यपि उचित जाँच के बाद आरोप पत्र में नामित किए गए हैं, क्योंकि उनके नाम न तो मृतक राजेंद्र राय के फरद बयान (मृत्यु घोषणा) में या सी. डब्ल्यू.-1 के बयान में नहीं लिए गए थे, इसलिए उनके बरी होने के फैसले में कोई बाधा नहीं है।

115. अभियुक्त-प्रतिवादी नं.2 इस प्रकार उसे दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्याओं और घायल श्रीमती की हत्या के प्रयास के लिए भी आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया जाता है। देवी।

116. सचिव, गृह विभाग, बिहार राज्य और पुलिस महानिदेशक, बिहार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रभुनाथ सिंह (प्रतिवादी संख्या 2) को तुरंत हिरासत में लिया जाए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 के मद्देनजर सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

117. इस मामले को 1 सितंबर, 2023 को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।उक्त तिथि पर अभियुक्त प्रभुनाथ सिंह (प्रतिवादी सं.2) उपरोक्त प्रयोजन के लिए अभिरक्षा में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

मुख्य अभियुक्त के बरी होने का फैसला पलट दिया गया और

बिभूति भूषण बोस

सजा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामला।